www.navpradesh.com

दैनिक **नव प्रदेश**

प्रदेश के साथ पूरा देश...

अंदर के पृष्ठों पर ❖❖ 2 | विशेष 4 | अभिव्यक्ति 6 | आंचलिक 7 | विशेष

RNI NO.CHHHIN/2012/41806 रायपुर, शनिवार 28 मई 2022, शुक्ल पक्ष त्रयोदशी, विक्रम संवत-2078 वर्ष-11 अंक-107 पृष्ठ-08 मूल्य-4 रुपए रायपुर, बिलासपुर, भोपाल, जबलपुर व रांची से एक साथ प्रकाशित

//-- सुविचार --//

परिस्थितियां जितनी ज्यादा आपको तोड़ती हैं, उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत बना देती हैं।

आज बेबाक

जो लोग मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होते है वे उन लोगों से नफरत करते है जो अपने संघर्ष के बल पर फर्श से अर्श पर पहुंच जाते है। भारतीय राजनीति में ऐसी सामंती सोच वाले कथित युवा नेताओं की भरमार है। एक ढूंढो हजार मिलते है नगद ढूंढों उधार मिलते है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मात खाने वाली समाजवादी पार्टी से खलीफा अखिलेश यादव इसलिए खफा है कि उनकी पंचर सायकल चल नहीं पाई। उत्तर प्रदेश विधानसभा में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ अभद्रता कर टीपू ने खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचें वाली कहावत चरितार्थ की है।

सूर्योदय

उदय : 5.45 प्रात:

अस्त : 7.02 संध्या

जनसंख्या

विश्व : 7,949,835,690

भारत : 1,406,280,440

बाजार

सेंसेक्स : 54884.66

निफ्टी : 16352.50

गोल्ड : 52,090 प्रति 10 ग्राम

चांदी : 62,150 प्रति किग्रा

अण्डा दर : 4.51 प्रति नग

आज का दिवस

विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस

'विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस' यानी 'वर्ल्ड मेन्सट्रुअल हाइजीन डे 2022' हर साल 28 मई को मनाया जाता है। इसका मकसद महिलाओं को माहवारी के दौरान साफ-सफाई के महत्व को समझाना है। गांव और शहरों में रहने वाली लाखों महिलाएं आज भी इससे जुड़ी कई जरूरी जानकारियों से अंजान हैं।

केन्द्र की सत्ता में बीजेपी के आठ साल, शिमला में बड़ी रैली

■ **विभिन्न योजनाओं के 50 हजार लाभार्थी रहेंगे मौजूद**

शिमला (वार्ता)। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार 'आजादी का अमृत महोत्सव' मना रही है। इसके अलावा 26 मई को केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को सत्ता में आए 8 साल पूरे हो गए। इन खास मौकों को चिह्नित करने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश से 31 मई को विभिन्न सरकारी योजनाएं के लाभार्थियों के एक समूह के साथ बातचीत करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री देश भर के किसानों को किसान सम्मान निधि योजना की अगली किश्त

ऑनलाइन रिलीज करेंगे।

मामले से अवगत लोगों के अनुसार, योजनाओं की अधिकतम संतृप्ति सुनिश्चित करने के तरीकों पर चर्चा करने के उद्देश्य से बातचीत का आयोजन किया जा रहा है ताकि अंत्योदय के सिद्धांत, जो कि ■ शेष पृष्ठ 6 पर

50,000 लाभार्थी रैली में शामिल होंगे

हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने बताया, हिमाचल के लिए प्रसन्नता का विषय है कि केंद्र के 8 साल का कार्यकाल पूरा होने पर क्करू मोदी पूरे राष्ट्र के लिए जिस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, उसके लिए हिमाचल में उनका आगमन हो रहा है। 31 मई को सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी का आना होगा, 11 बजे वे मंच पर होंगे। उन्होंने कहा, देशभर के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल संवाद, हर ज़िला मुख्यालय में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के साथ पीएम का संवाद होगा। प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश की जनता ■ शेष पृष्ठ 6 पर

ड्रग्स सिंडिकेट को किसका संरक्षण है, देश को बताए सरकार : कांग्रेस

नई दिल्ली (वार्ता)। कांग्रेस ने गुजरात के बंदरगाहों के देश में नशीले पदार्थों का प्रवेश द्वार बनने पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि सरकार को बताना चाहिए कि भारत में ड्रग्स माफियाओं के वैश्विक कारोबार को किसका संरक्षण है। बता दें कि बीती रोज गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह में 500 किलो कोकीन बरामद की गई थी।

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने शुक्रवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि गुजरात के बंदरगाहों पर लगातार विदेशों से बड़ी मात्रा में आ रहा कुछ ड्रग्स पकड़ा जा रहा है और कुछ ट्रकों में भरकर के पूरे देश में पहुंच रहा है। एक दिन पहले ही

(कल) गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर ईरान के रास्ते आया 52 किलो कोकीन पकड़ा गया है।

उन्होंने कहा कि यह बहुत चिंता की बात है कि गुजरात के बंदरगाह ड्रग्स के 'गेट वे' बन रहे हैं और वहां से बड़ी मात्रा में ड्रग्स लगातार देश की धरती पर आ कर हमारी युवा पीढी को बरबाद कर रहा है। गुजरात के अकेले मुंद्रा पोर्ट से 25 टन ड्रग्स पूरे ■ शेष पृष्ठ 6 पर

जुलाई 2017 से गुजरात में पकड़ा जा रहा ड्रग्स

इसके अलावा दूसरे कई बंदरगाहों पर ड्रग्स आती है और देश के विभिन्न हिस्सों में फैल जाती है लेकिन इसका प्रसार रोकने के लिए सरकार की तरफसे कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती है। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पकड़ी गई ड्रग्स का विवरण देते हुए उन्होंने कहा कि जुलाई 2017 से लगातार गुजरात के बंदरगाहों पर ड्रग्स पकड़ा जा रहा है और वहां तब पहली बार जनवरी में 175 करोड का ड्रग्स बरामद हुआ।

कवर्धा के इंदौरी फार्म हाउस पहुंची सीबीआई

■ **क्यों हुई थी राजमाता के भांजे की हत्या, जांच करने दिल्ली से कवर्धा पहुंची सीबीआई टीम**

कवर्धा/नवप्रदेश। कवर्धा रियासत के चर्चित हत्याकांड की जांच करने सीबीआई की टीम गुरुवार को दिल्ली से आई है। सीबीआई की टीम ने गुरूवार-शुक्रवार को कवर्धा रियासत की राजमाता के भांजे की हत्या से जुड़े हर पहलू की बारीकी से जांच की। इस जांच टीम में 15 से अधिक सदस्य शामिल हैं। टीम के फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने घटना स्थल

की बारीकी से जांच की। कुछ स्थानीय लोगों के बयान भी दर्ज किए। एसपी अजय कुमार के नेतृत्व में टीम जांच कर रही है। मृतक की पत्नी ज्योति नायर ने इसे जमीन विवाद में सुपारी किलिंग बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। साथ ही पुलिस ■ शेष पृष्ठ 6 पर

आय से अधिक संपत्ति मामला चौटाला को 4 साल की सजा

■ **50 लाख रुपए का जुर्माना**

नई दिल्ली (ए.)। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल सीबीआई अदालत ने शुक्रवार को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार दिए गए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोक दल सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल कैद की सुजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने चौटाला पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने चौटाला की चार संपतियों को जब्त करने के भी निर्देश दिए हैं।

राऊज एवेन्यू कोर्ट स्थित विशेष न्यायाधीश विकास ढल की अदालत ने फैसला सुनाए जाने के समय कोर्ट रूम में मौजूद रहे ओम प्रकाश चौटाला को

तुरंत हिरासत में लेने का निर्देश दिया। इससे पहले पिछ्ले सप्ताह अदालत ने चौटाला को दोषी ठहराया था। अदालत ने जुर्माने की रकम में से पांच लाख रुपये सीबीआई को मुकदमा खर्च के तौर पर देने को कहा है। वहीं, चौटाला की तरफ से इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए ■ शेष पृष्ठ 6 पर

नौसेना की तैयारी हिन्द महासागर में शांति और समृद्धि के लिए : राजनाथ

नयी दिल्ली (वार्ता)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि नौसेना अपनी ताकत बढाने के लिए जो तैयारी कर रही है वह किसी देश के खिलाफ नहीं बल्कि हिन्द महासागर क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए है।

श्री सिंह शुक्रवार को कारवाड़ नौसैनिक अड्डे से नौसेना की स्वदेशी पनडुब्बी खंडेरी में सवार हुए और पनडुब्बी की पानी के भीतर की गतिविधियों तथा क्षमता का जायजा लिया। बाद में उन्होंने कहा , ÷ इंडियन नेवी की ताकत को बहुत नजदीक से दिखाने के लिए मैं नेवी चीफ एडमिरल हरि कुमार, वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं और उन्हें बधाई देता हूं

कि उन्होंने भारत की सुरक्षा के प्रति मुझे और भी अधिक भरोसा दिया है।

हमारी इंडियन नेवी की जो भी तैयारियां हो रही है, वह किसी के खिलाफ नही है, बल्कि इस पूरे हिन्द महासागर क्षेत्र में सभी की शांति और समृद्धि के लिए है। रक्षा मंत्री ने कहा कि खंडेरी में नौसेना की ताकत ■ शेष पृष्ठ 6 पर

कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे जी
को जन्मदिन की
हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं...
श्रीमती मोंगरा साहू
सरपंच
भुवनलाल साहू
सरपंच प्रतिनिधि
दिनेश साहू
सचिव
समस्त
पंचगण एवं
ग्रामवासी
विनीत : ग्राम पंचायत कांचरी, वि.खं. साजा

कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे जी
को जन्मदिन की
हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं...
ओमप्रकाश कश्यप
सरपंच
उपसरपंच - राम अवतार यादव,
सचिव- मुनेश कुमार देवांगन
पंचगण - श्रीमती रत्ना, मीराबाई,
भगवती, पंचूराम निर्मलकर,
राजाराम, धनेश्वरी, आशाराम
कश्यप, रुखमणी, पुनिया, लालसिंह,
भगवान सिंह यादव, सत्यभामा एवं
समस्त ग्रामवासीगण
विनीत : ग्राम पंचायत घिवरी, वि.खं. साजा

कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे जी
को जन्मदिन की
हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं...
उपसरपंच, पंचगण
एवं समस्त
ग्रामवासी
चंदन सिंह वर्मा
संरपंच
परस राम साहू
सचिव
विनीत : ग्राम पंचायत बनरांका, वि.खं. साजा

कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे जी
को जन्मदिन की
हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं...
अशोक विश्वकर्मा
सचिव
टुकलहा नेताम
सरपंच
उपसरपंच, पंचगण एवं
समस्त ग्रामवासी
विनीत : ग्राम पंचायत तिरियाभाट, वि.खं. साजा

कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे जी
को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं...
योगेश
डौडे
सचिव
हरिशंकर
देगांगन
सरपंच प्रतिनिधि
समस्त
पंचगण एवं
ग्रामवासी
श्रीमती दीपिका
हरिशंकर
सरपंच
विनीत : ग्राम पंचायत डोंगीतराई, वि.खं. साजा

कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे जी
को जन्मदिन की
हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं...
मदन लोध
सरपंच प्रतिनिधि
परीक्षित पटेल
सचिव
उपसरपंच, पंचगण एवं
समस्त ग्रामवासी
श्रीमती अनुपा
बाई लोधी
सरपंच
विनीत : ग्राम पंचायत
डगनिया, वि.खं. साजा

छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, कृषि मंत्री
श्री रविन्द्र चौबे जी
को जन्मदिन की हार्दिक
बधाई एवं
शुभकामनाएँ...
दिनेश वर्मा
अध्यक्ष, जनपद पंचायत साजा
विनीत :- जनपद पंचायत साजा

छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, कृषि मंत्री
श्री रविन्द्र चौबे जी
को जन्मदिन की हार्दिक
बधाई एवं
शुभकामनाएँ...
युगेश्वर सोनी
(उपा. न.प.साजा)
श्री मती शालिनी मनोज जायसवाल
(अध्यक्ष नगर पंचायत साजा)
कार्यक्रम स्थल :- डॉ. भीमराव अंबेडकर भवन, न.पं. साजा, समय - शाम 5 बजे

छात्रा का सवाल सुनकर मुख्यमंत्री ने कहा- बेटी आपने बड़ा प्रश्न पूछ लिया, बैठो

■ महापुरुषों के आदर्श जीवन से शिक्षा ग्रहण करने बच्चों को मुख्यमंत्री ने दी सीख

रायपुर/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार को जगदलपुर में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री से क्लास की पिछली पंक्ति में बैठी नन्हीं रश्मि डहरिया ने एक बड़ा प्रश्न पूछ कर व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद उन्हें ठहरकर विस्तार से प्रश्न का जवाब देने विवश कर दिया। रश्मि ने मुख्यमंत्री से पूछा कि जिन स्वामी आत्मानन्द जी के नाम से हमारा स्कूल है, क्या आप हमें उनके बारे में बता सकते हैं? ये सुनकर मुख्यमंत्री ने कहा- बेटी आपने बड़ा प्रश्न पूछ लिया, बैठो! मुख्यमंत्री ब्लैक बोर्ड के सामने आ गए और उन्होंने विस्तार से बच्चों को स्वामी आत्मानंद के प्रेरक जीवन के विषय मे बताया। इस दौरान मुख्यमंत्री का महापुरुषों के प्रति अनुराग और आदर छलक पड़ा। बच्चों ने भी बड़ी तन्मयता से मुख्यमंत्री से उन स्वामीजी के बारे में जाना, जिनके नाम पर उनका स्कूल है।

मुख्यमंत्री ने बच्चों को बताया कि स्वामी आत्मानन्द का जन्म रायपुर में हुआ, उनके पिता का नाम धनीराम वर्मा था। वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शिक्षक थे। महात्मा गांधी के आह्वान पर वे भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़े। गिरफ्तारी हुई और नौकरी भी छूट गयी। वर्धा आश्रम में वे गांधीजी के साथ रहे। स्वामी आत्मानंद जब 4 साल के थे तो वे वर्धा आश्रम में महात्मा गांधी का प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम हारमोनियम पर गाकर सुनाते थे। वे बहुत कुशाग्र थे, एमएससी मैथ्स में नागपुर के गोल्ड मेडलिस्ट थे। तब छत्तीसगढ़ सीपी बरार प्रांत का हिस्सा था। नागपुर में ही विवेकानंद आश्रम से उन्हें स्वामी विवेकानंद के पथ पर चलने की प्रेरणा मिली। वे आईसीएस की परीक्षा में टॉप टेन में आये थे। वो कलेक्टर नहीं बने बल्कि स्वामी विवेकानंद आश्रम में शामिल हुए। विवेकानंद जी भी रायपुर में अपने बचपन मे रहे थे। कलकत्ता के बाद रायपुर में ही उन्होंने अपने जीवन का सबसे ज़्यादा समय गुज़ारा।

रायपुर में खोला आश्रम, बड़ी मेहनत की

सीएम ने आगे बताया कि स्वामी आत्मानंद जी ने रायपुर में आश्रम खोला, बड़ी मेहनत की। मगर उसी वक्त अकाल पड़ा। स्वामी जी ने आश्रम के लिए जमा किये सारे पैसे अकाल पीड़ितों की सेवा में खर्च कर दिए। क्योंकि विवेकानंद जी कहते थे दरिद्रनारायण की सेवा ही परमात्मा की सेवा है। उन्होंने जगह जगह आश्रम खोले। इंदौर, भिलाई, अमरकंटक में आश्रम खोले। इंदिरा गांधी जी से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने स्वामीजी से कहा कि अबूझमाड़ के लोगों तक शासन की योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता। आप वहां आश्रम खोलें। स्वामीजी ने नारायणपुर में आश्रम और विद्यालय बनाया। अबूझमाड़ जैसे क्षेत्र के बच्चों को उन्होंने पढ़ाया। वहां के पढ़े बच्चे खूब अच्छी पढ़ाई करते हैं और हर क्षेत्र में मेडल जीतते हैं। पहली बार अबूझमाड़ के 7 बच्चों का नाम बस्तर संभाग की मेरिट में आया। किसी ने पूछा आठवां क्यों नहीं आया तो बताया गया कि बस 7 ही बच्चे पढ़ रहे थे और सातों ने टॉप किया है। स्वामी आत्मानंद का शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान है।

- ➲ माकड़ी में की गई प्रमुख घोषणाएं
- ➲ माकड़ी में हाइटेक बस स्टैंड का निर्माण होगा
- ➲ बीजापुर में जिला सहकारी बैंक की शाखा खोलने की घोषणा
- ➲ सिंचाई पम्प के 1466 नए बिजली कनेक्शन की स्वीकृति
- ➲ 12 स्कूलों के नए भवन बनाने की स्वीकृत
- ➲ रांधना में मिनी स्टेडियम के निर्माण की घोषणा
- ➲ बूढातालाब माकड़ी तालाब के सौंदर्यीकरण की घोषणा

मूलरूप से नाला पर काम करना जरूरी : सीएम

जगदलपुर में अधिकारियों की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा हमें मूलरूप से नाला पर काम करना जरूरी है, खेति का समय आ रहा है। पानी की आवश्यकता सभी को है, यदि पानी की कमी रही तो जानवर शहरों का रुख करते हैं, पक्षी पलायन करते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की आय में जबरदस्त वृद्धि दर्ज हुई है। हमारी नीतियों का लाभ मिल रहा है। खेती के प्रति आकर्षण बढ़ गया है तो पानी की जरूरत बढ़ी है। पानी की बढ़ती उपयोगिता को देखते हुए पानी को सहेजने की आवश्यकता है। फारेस्ट एरिया में नरवा नालों में स्टाप डेम का विकास जरूरी है। नदी नालों में जल का स्तर कम हो गया है इसलिए हमें प्राथमिकता के साथ जल संरक्षण के कार्य करने हैं।

लोगों का खेती के प्रति बढ़ रहा रूझान

मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान जगदलपुर में मीडिया से मुखाबित होते हुए कहा कि वनधन, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि न्याय योजना बस्तर के लोंगो के लिए बहुत हितकर साबित हो रहा है। लोग शासकीय योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, खेतों के प्रति रुझान बढ़ रहा है। राशन कार्ड सबका बना है, सबको राशन मिल रहा है,परंपरागत खेती, कोदो, कुटकी का रकबा भी बढ़ा है। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ लोग बैंक मांग रहे हैं, इसका मतलब है लोगों के पास पैसा आ रहा है। बस्तर बदलाव की तरफ बढ़ रहा है, कई जगह कॉलेज, आत्मानंद स्कूल, हॉस्टल की मांग हो रही है। नक्सल समस्या को हल करने के लिए आम लोगों का विश्वास जितना जरूरी है। अब हम लोगों तक पहुच रहे हैं, आय के साधन, रोजगार बढ़ा रहे हैं। हम जल, जंगल, जमीन पर अधिकार देने का काम कर रहे हैं। टाटा द्वारा अधिग्रहित जमीन वापस की, अबूझमाड़ में पट्टे बंटे हैं, दंतेवाड़ा में आवागमन की सुविधा, राशन दुकान, सोलर लाइट, सब लग रहा है। नये स्कूल खुल रहे हैं।

लाइब्रेरी में छिड़ी किताबों पर बात...

स्वामी आत्मानन्द स्कूल जगदलपुर की लाइब्रेरी में बच्चों ने मुख्यमंत्री से किताबों पर रोचक चर्चा की। छात्रा भारती गोलछा ने मुख्यमंत्री से पूछा- आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है? मुख्यमंत्री ने भारती को बताया कि मुझे महापुरुषों की जीवनी पढ़ने का बहुत शौक है। मैंने महात्मा गांधी, नेहरू जी, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस, सरदार पटेल, स्वामी विवेकानंद सहित अन्य महापुरुषों की जीवनी पढ़ी है। महापुरुषों के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। आपको भी ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए। चेतना ने मुख्यमंत्री से पूछा- सर क्या आपके स्कूल में लाइब्रेरी थी? मुख्यमंत्री श्री बघेल ने चेतना के प्रश्न पर अपने छात्र जीवन को याद करते हुए बताया कि मेरे स्कूल में इतनी अच्छी लाइब्रेरी नहीं थी, जैसी यहां है। चेतना ने मुख्यमंत्री से कहा- सर ये आपकी मेहरबानी है। मुख्यमंत्री ने कहा- नहीं, ये आपका हक है। अच्छी शिक्षा के लिए सभी सुविधाएं प्राप्त करना आपका अधिकार है। वहीं आपको देने की हम कोशिश कर रहे हैं।

6 करोड़ के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, जगदलपुर में 4 करोड़ 8 लाख की लागत से नवीन माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माण कार्य एवं 2 करोड़ 8 लाख की लागत के स्कूल परिसर में विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। स्वामी आत्मानन्द अंग्रेजी माध्यम स्कूल, जगदलपुर में सेल्फी का दिखा क्रेज। बच्चों के निवेदन पर मुख्यमंत्री ने ली सेल्फी। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, जगदलपुर मुख्यमंत्री ने स्वामी आत्मानन्द शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल, जगदलपुर के मैग्जीन विजन का विमोचन किया।

माकड़ी थाने का निरीक्षण किया...

मुख्यमंत्री ने माकड़ी थाने का निरीक्षण किया। उन्होंने थाने का रोजनामचा चेक किया। लंबित प्रकरण, बंदी गृह, अभिलेख कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष एवं शस्त्रागार का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने पुलिस परिवार के सदस्यों से मुलाकात किया, इस दौरान उन्होंने परिवार के सदस्यों के साथ सेल्फी ली।

एनएमडीसी का अब तक का सर्वोत्तम वार्षिक वित्तीय निष्पादन

हैदराबाद/नवप्रदेश। भारत के प्रमुख खनन संगठन एनएमडीसी लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लौह अयस्क का 42.19 मिलियन टन उत्पामदन किया और 40.56 मिलियन टन बिक्री की। इसके साथ ही कंपनी ने अपने इतिहास में अब तक के सबसे बड़ी वृद्धि दर्ज की जो पिछले वित्त 6 वर्ष के 34.15 मिलियन टन उत्पादन पर 24% की वृद्धि है तथा वित्त वर्ष 2021 में 33.25 मिलियन टन बिक्री पर 22% की वृद्धि है।

देश के सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक ने 42 मिलियन टन उत्पातदन टन के मील के पत्थर को पार करते हुए अब तक के सर्वोत्तम वित्तीय परिणाम दर्ज किए। वित्त वर्ष 2022 में इसने रूपए 25882 करोड़ का टर्नओवर रिकार्ड किया जो कि पिछले वर्ष के रूपए 15370 करोड़ पर 68% की वृद्धि है। एनएमडीसी ने वित्तर वर्ष 2021-22 के दौरान रूपए 12981 करोड़ के कर पूर्व लाभ की घोषणा की जो वित्त वर्ष 2020-21 के रूपए 8,902 करोड़ पर 46% की वृद्धि दर्शाता है। इसी प्रकार वर्ष के दौरान कर पश्चात लाभ रूपए 9,398 करोड़ रहा जो पिछले वित्त वर्ष के रूपए 6253 करोड की उपलब्धि पर 50% की बड़ी वृद्धि दर्शाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने वित्त वर्ष 2022 के दौरान अब तक का सर्वाधिक लाभांश 1474% का भी भुगतान किया।

एक मजबूत कार्य निष्पादन के साथ वर्ष का समापन करते हुए एनएमडीसी ने वित्तक वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही के दौरान 13.86 मिलियन टन का उत्पाकदन किया जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि के 12.31 मिलियन टन पर 13% की वृद्धि है। साथ ही लौह अयस्कि की 12.29 मिलियन टन की बिक्री भी की जो वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में 11.09 मिलियन टन की बिक्री पर 11% की वृद्धि है। वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में टर्न ओवर रूपए 6,702 करोड़ रहा जबकि कर पूर्व लाभ एवं कर पश्चाति लाभ क्रमशः रूपए 2880 करोड़ एवं रूपए 1,815 करोड़ दर्ज किया गया।

जिंदल स्टील छत्तीसगढ़ में रेल पहिए की फैक्टरी लगाएगा

नई दिल्ली/नवप्रदेश। भारत की पहली और निजी क्षेत्र की एकमात्र रेल निर्माता कंपनी जिन्दल स्टील एंड पावर ने रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर उत्पादन क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाई है। कंपनी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ स्थित अपने स्टील प्लांट में देश की पहली रेल पहिया उत्पादन कारखाना लगाएगी। राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक इस महत्वाकांक्षी योजना को अंजाम देने के लिए कंपनी ने जीआईएफएलओ-हंगरी के साथ एक समझौता किया है।

यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार जीआईएफ एलओ-हंगरी और जिन्दल स्टील के बीच यह तकनीकी करार नई दिल्ली में आज हंगरी दूतावास एवं फिक्की के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित भारत-हंगरी बिजनेस फोरम में हुआ, जिसके अनुसार प्लांट की शुरुआती उत्पादन क्षमता 25 हजार सेट पहिया प्रतिवर्ष होगी।

गौरतलब है कि जिन्दल स्टील भारतीय रेल के लिए विभिन्न श्रेणियों की पटरियां तैयार कर आपूर्ति कर रही है। कंपनी देश की विभिन्न मेट्रो परियोजनाओं के लिए हेड हार्डेंड रेल भी तैयार कर रही है। रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए जिन्दल स्टील एसिमेट्रिक रेलों के लिए रेल फोर्जिंग यूनिट भी स्थापित कर रही है, जिसका इस्तेमाल रेल ट्रैक्स स्वीचेज, खासकर तेज रफ्तार ट्रेनों के संचालन में किया जाएगा।

इस संबंध में जिन्दल स्टील एंड पावर के प्रबंध निदेशक वी.आर. शर्मा ने कहा कि उनकी कंपनी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किये गए आत्मनिर्भर भारत अभियान में बढ़-चढ़कर सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्य बिंदु :

जिन्दल स्टील अपने रायगढ़ स्टील प्लांट में रेल पहिये का कारखाना लगाएगा, प्लांट में भारतीय रेलवे के लिए पटरियां तैयार की जा रही हैं

रेल पहिया फैक्टरी की शुरुआती उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष 25 हजार व्हीलसेट होगी

जिन्दल स्टील एसिमेट्रिक रेलों के लिए रेल फोर्जिंग यूनिट की स्थापना भी करेगी, इन रेलों का उपयोग तेज रफ्तार दौड़ने वाली ट्रेनों के लिए होगा

जिन्दल स्टील एंड पावर

स्टील, बिजली, माइनिंग एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान कर रहा जिन्दल स्टील एंड पावर देश का अग्रणी उद्योग समूह है। भारत समेत विश्व के अनेक देशों में 12 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेशकर जेएसपी आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान करने के लिए तत्पर है और निरंतर अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहा है।

लोगों को विश्वास दिलाएं कि भाजपा यहां दे सकती है बेहतर सरकार :पुरंदेश्वरी

रायपुर/नवप्रदेश। शुक्रवार को प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक कुशाभाऊ परिसर में संपन्न हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने भाग लिया और प्रदेश के नेताओं को कई अहम टास्क दिए। प्रदेश के भाजपा नेताओं से डी पुरंदेश्वरी ने कहा है कि हमें जनता को विश्वास दिलाना होगा कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में बेहतर सरकार दे सकती है। प्रदेश सरकार के लाए काले कानून के विरोध में भाजपा का आंदोलन सफल रहा। जनता का हमें व्यापक समर्थन भी मिला है। प्रदेश के किसान लगातार खाद की कमी से, बारदाने की कमी,रकबा कटौती से लगातार परेशान हैं। हम किसानों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि हमें प्रदेश की कांग्रेस सरकार की हर गलत नीतियों एवं कार्यों का मुखरता से विरोध करना है।

न्यायालय नजूल अधिकारी
जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)
रा.प्र.क्र. 202205160100032
अ-20(3) 2021-22

ईश्तहार

आम जनता को इस ईश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आवेदनकर्ता नारायणचंद्र देवनाथ पिता/ स्व. निवारण चंद्र उम्र 80 वर्ष जाति जोगी मो. नं. 9407642051 निवासी किरंदुल को वर्ष 2002-03 में राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत नगरीय क्षेत्र किरंदुल पहन 07 रानिमं व तहसील बचेली जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा स्थित नजूल भूमि खसरा नंबर 34/1 रकबा 2.7430 हे. भूमि में से प्राप्त 672 वर्गफुट भूमि के भूमिस्वामी हक प्रदाय किए जाने संबंधी प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

उक्त संबंध में किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो आपत्ति के स्पष्ट कारणों को उल्लेख करते हुए स्वयं या अपने मान्य प्रतिनिधि के माध्यम से दिनांक 07.06.2022 तक कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि पश्चात प्रस्तुत आपत्ति/अभ्यावेदन इस न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार आज दिनांक 24.05.2022 को जारी किया जाता है।

सील — **नजूल अधिकारी, दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा**

कार्यालय, नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)
जोन क्रमांक-02
शहीद स्मारक स्कूल के.के. रोड रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना

नामांतरण प्र.क्र. 62/2022-23
वार्ड का नाम- श.हेमू कालाणी-28

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि श. हेमू कालाणी 28 स्थित मकान/ भूमि आफिस नं. 224 करसन चैम्बर जो कि निगम अभिलेख में श्री मणीलाल पटेल s/o श्री करसन भाई पटेल के नाम से दर्ज है, जिसको श्री राजहंसा कंसलटेंटस एण्ड टैक्नोक्रेटस प्रा.लि. द्वारा डायरेक्टर- विशाल राजहंस पिता श्री माधव एकनाथ राजहंस ने रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

जोन आयुक्त
जोन क्रमांक- 02
नगर पालिक निगम, रायपुर

न्यायालय नजूल अधिकारी
जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)
रा.प्र.क्र. 202205160100033
अ-20(3) 2021-22

ईश्तहार

आम जनता को इस ईश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आवेदनकर्ता श्रीमती निवेदिता राय पिता/राम अमर राय उम्र 33 वर्ष जाति नमोशुद्र मो. नं. 9424156956 निवासी किरंदुल को वर्ष 2019-20 में राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत नगरीय क्षेत्र किरंदुल पहन 07 रानिमं व तहसील बचेली जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा स्थित नजूल भूमि खसरा नंबर 1/24/क रकबा 1.4250 हे. भूमि में से प्राप्त 592 वर्गफुट भूमि के भूमिस्वामी हक प्रदाय किए जाने संबंधी प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

उक्त संबंध में किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो आपत्ति के स्पष्ट कारणों को उल्लेख करते हुए स्वयं या अपने मान्य प्रतिनिधि के माध्यम से दिनांक 07.06.2022 तक कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि पश्चात प्रस्तुत आपत्ति/अभ्यावेदन इस न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार आज दिनांक 24.05.2022 को जारी किया जाता है।

सील — **नजूल अधिकारी, दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा**

यूको बैंक UCO BANK — शाखा कार्यालय : सिविक सेन्टर, भिलाई जिला-दुर्ग (छ.ग.) फोन : 07882261585, ई-मेल : civicc@ucobank.co.in

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)
सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के [नियम 8 (1)] के तहत

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यूको बैंक, शाखा- सिविक सेंटर, भिलाई (छ.ग.) का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) और प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में मांग सूचना जारी की थी तथा ऋणी को मांग सूचना में उल्लिखित धनराशि जिसका विवरण नीचे दिया गया है का भुगतान सूचना प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर करने को कहा गया था। ऋणी के यह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणी/बंधककर्ता और सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त नियम के नियम 8,9 के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में निम्न नीचे वर्णित सम्पत्तियों का आधिपत्य (कब्जा) नीचे वर्णित दिनांक को ग्रहण कर लिया है तथा जिसका विवरण अधोवर्णित है।

उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता (ओं) का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को छुड़ाने के लिये उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के लिये आमंत्रित किया गया है।

ऋणी/बंधककर्ता को विशिष्ट रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से एतद्द्वारा सम्पत्ति के साथ व्यवहार (क्रय-विक्रय) नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और उक्त सम्पत्ति का किसी भी प्रकार से क्रय-विक्रय यूको बैंक के मूल ब्याज व अन्य व्यय के भार के अधीन होगा जिसका विवरण निम्नप्रकार है।

क्र. सं.	ऋणी/गारंटर एवं बंधककर्ता का नाम	अचल संपत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि / कब्जा सूचना की तिथि	मांग सूचना तिथि को बकाया राशि
1.	मेसर्स देशलहरे इंटरप्राईजेस प्रोप. श्री संजय देशलहरे	खसरा नं. 469/6, साई मंदिर के पास, प.ह.नं. 13/18, क्षेत्रफल- 2184 वर्गफिट, वार्ड नं. 50, नगर पालिक निगम जामुल, जिला दुर्ग (छ.ग.) में स्थित आवासीय भूमि। भूमि की चौहद्दी- उत्तर- [illegible] चौबे का मकान, दक्षिण- [illegible] चौबे का मकान, पूर्व- पवन कुमार की भूमि, पश्चिम- सड़क	05.02.2022 / 24.05.2022	₹ 9,93,169.09 + ब्याज देय एवं अन्य खर्च।
2.	श्री एफ.आर. प्रकाश यादव एवं श्रीमती उषा बाई	खसरा नं. 12/129, प.ह.नं. 17, गली नं. 1, जयंती नगर, ग्राम- सिकोला भाटा, दुर्ग (छ.ग.) में स्थित आवासीय भवन। भूमि की चौहद्दी- उत्तर- शिव प्रसाद यादव का मकान, दक्षिण- 25 फीट चौड़ी सड़क, पूर्व- [illegible] सिंह से संबंधित भूमि, पश्चिम- मंडल साहू का मकान	13.01.2022 / 26.05.2022	₹ 5,38,553.24 + ब्याज देय एवं अन्य खर्च।
3.	मेसर्स शैली केमिकल्स प्रोप. ललित नान्हेवार	रजनीश गिरी के नाम पर खसरा नं. 261/2, प.ह.नं. 12, नंदिनी एयरपोर्ट मेन रोड के सामने, ग्राम- बोरसरा, जिला- दुर्ग (छ.ग.) में स्थित आवासीय भूमि। भूमि की चौहद्दी- उत्तर- केवल कृष्ण की भूमि, दक्षिण- अन्य की भूमि, पूर्व- बाकी की भूमि (नक्शे के अनुसार 30 फीट सड़क), पश्चिम- केवल कृष्ण की भूमि	23.06.2021 / 24.05.2022	₹ 16,52,387.00 + ब्याज देय एवं अन्य खर्च।

दिनांक: 27.05.2022 स्थान- भिलाई (छ.ग.) — मुख्य प्रबंधक, प्राधिकृत अधिकारी / यूको बैंक

कार्यालय संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-4, सेजबहार, रायपुर (छ.ग.)
email ID: eocghbzone5@gmail.com

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा कालोनी उरला (अभनपुर) जिला रायपुर में अटल विहार योजनांतर्गत निर्मित ई.डब्ल्यू.डी. फ्लैट क्र. 04/प्रथम तल/201, श्री विजय मिश्रा पिता श्री रामाधार मिश्रा के नाम पर इस कार्यालय के आबंटन आदेश क्र. 248 दिनांक 02.02.2019 के माध्यम से स्ववित्तीय आधार पर आबंटित है। आबंटी द्वारा फ्लैट का पूर्ण मूल्य जमा कर दिनांक 16.02.2022 को लीजडीड पंजीकृत करा लिया गया है। मूल आबंटी श्री विजय मिश्रा पिता श्री रामाधार मिश्रा, निवासी- सुरभी नगर रेल्वे स्टेशन अभनपुर बड़े उरला, जिला रायपुर (छ.ग.) की मृत्यु दिनांक 03.05.2021 को हो जाने के कारण उनकी वारिसान धर्मपत्नी श्रीमती वंदना मिश्रा पति स्व. श्री विजय मिश्रा निवासी- सुरभी नगर, रेल्वे स्टेशन अभनपुर बड़े उरला जिला रायपुर (छ.ग.) द्वारा आवेदन, शपथ पत्र, पारिवारिक सहमति पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर उक्त फ्लैट अपने नाम से नामांतरण हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर उक्त फ्लैट श्रीमती वंदना मिश्रा पति स्व. श्री विजय मिश्रा के नाम पर मृत्यु उपरांत नामांतरण किया जाना है।

अतः किसी भी व्यक्ति, शासकीय/ अर्धशासकीय संस्था, निकाय, बैंक अथवा वित्तीय संस्था इत्यादि को उक्त भूखंड/भवन के विक्रय करने हेतु अनुमति प्रदान करने में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर लिखित रूप से प्रमाणित दस्तावेज सहित इस आम सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा नियत समयावधि पश्चात आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी।

सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
प्रक्षेत्र-04, सेजबहार, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, नगर पालिक निगम, जोन क्र. 5 रायपुर
ईदगाह भाठा, पानी टंकी, रायपुर (छ.ग.)
ph.No. 0771-40455819 Email rmczone5@gmail.com

ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना

नामांतरण प्र.क्र.-53 दिनांक 19.05.2022
वार्ड का नाम वार्ड- ठाकुर प्यारे लाल-40

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड-40 स्थित भूमि RPR569K00111 जो कि निगम अभिलेख में श्री समारू लाल साहू s/o स्व. श्री भगवानी साहू के नाम से दर्ज है जिसको श्री तेज कुमार साहू s/o श्री समारू लाल ने रजिस्ट्री/दान विलेख/ शपथ पत्र/ लिखित द्वारा वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

जोन कमिश्नर
जोन क्रमांक-5
नगर पालिक निगम, रायपुर

न्यायालय नजूल अधिकारी
जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)
रा.प्र.क्र. 202205160100027
अ-20(3) 2021-22

ईश्तहार

आम जनता को इस ईश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आवेदनकर्ता रमेश यादव पिता लक्ष्मण यादव उम्र 38 वर्ष जाति राउत निवासी गीदम को वर्ष 2019-20 में राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत नगरीय क्षेत्र गीदम पहन 17 रानिमं व तहसील गीदम जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा स्थित नजूल भूमि खसरा नंबर 565/1 रकबा 0.5390 हे. भूमि में से प्राप्त 646 वर्गफुट भूमि के भूमिस्वामी हक प्रदाय किए जाने संबंधी प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

उक्त संबंध में किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो आपत्ति के स्पष्ट कारणों को उल्लेख करते हुए स्वयं या अपने मान्य प्रतिनिधि के माध्यम से दिनांक 02.06.2022 तक कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि पश्चात प्रस्तुत आपत्ति/अभ्यावेदन इस न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार आज दिनांक 24.05.2022 को जारी किया जाता है।

सील — **नजूल अधिकारी, दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा**

न्यायालय नजूल अधिकारी
जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)
रा.प्र.क्र. 202205160100032
अ-20(3) 2021-22

ईश्तहार

आम जनता को इस ईश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आवेदनकर्ता अमरीका बाई पिता/पति दयाराम उम्र 42 वर्ष जाति मरार निवासी किरंदुल को वर्ष 1997-98 में राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत नगरीय क्षेत्र किरंदुल पहन 07 रानिमं व तहसील बचेली जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा स्थित नजूल भूमि खसरा नंबर 34/1 रकबा 2.7430 हे. भूमि में से प्राप्त 800 वर्गफुट भूमि के भूमिस्वामी हक प्रदाय किए जाने संबंधी प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

उक्त संबंध में किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो आपत्ति के स्पष्ट कारणों को उल्लेख करते हुए स्वयं या अपने मान्य प्रतिनिधि के माध्यम से दिनांक 03.06.2022 तक कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि पश्चात प्रस्तुत आपत्ति/अभ्यावेदन इस न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार आज दिनांक 24.05.2022 को जारी किया जाता है।

सील — **नजूल अधिकारी, दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा**

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

-:: निविदा आमंत्रण सूचना ::-

क्रमांक 21/न.पा.नि./जोन क्र.-06/2022-23 — रायपुर, दिनांक 26/05/2022

नगर पालिक निगम रायपुर जोन क्रमांक 06 द्वारा निम्न कार्य हेतु निर्धारित NON SOR & SOR पर लोक कर्म विभाग से पंजीकृत ठेकेदारों (ई-रजिस्ट्रेशन ''डी'' एवं उससे ऊपर) से दो लिफाफा पद्धति के अनुसार (लिफाफा ''अ'' एवं ''ब'') में निविदा प्रपत्र एफ (एकमुश्त दर) सील बंद निविदा पृथक-पृथक आमंत्रित की जाती है। इन कार्यों का निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु दिनांक 07/06/2022 तक निर्धारित राशि सहित आवेदन कार्यालयीन अवधि में जमा किया जा कर निविदा प्रपत्र प्राप्त किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र एवं निविदा हेतु आवश्यक दस्तावेज दिनांक 15/06/2022 तक पंजीकृत डाक/ स्पीड पोस्ट के माध्यम से सायं 5.30 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्राप्त होना अनिवार्य है। प्राप्त समस्त निविदाएं दिनांक 16/06/2022 को सुबह 11.30 बजे उपस्थित निविदाकारों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी। निविदा आमंत्रित कार्य का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	कार्य का नाम	अगणित राशि (लाख में)	अमानती राशि	निविदा प्रपत्र मूल्य	एस.ओ.आर.	समया अवधि
1	जोन क्रमांक 06 अंतर्गत सरजुबांधा तालाब, नरैया तालाब, महाराजबंध तालाब के जलकुंभी सफाई एवं मेड से कचरा सफाई करने का कार्य सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरण एवं परिवहन कर निर्धारित स्थल तक फेंकने के संसाधनों सहित सम्पूर्ण कार्य।	1705000.00	17100.00	750.00	NON SOR & PWD BUILDING ROAD SOR	2 माह

कार्य के निविदा हेतु सलंग्न की जाने वाली आवश्यक दस्तावेज निम्नानुसार है :-

लिफाफा ''अ'' में - (1) आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर के नाम से देय अमानती राशि का एफ.डी.आर. (निविदा खोलने के दिनांक तक वैद्य होना चाहिए) मूलप्रति।
(2) प्रस्तुत दस्तावेजों की सत्यता एवं काली सूची में न होने बाबत शपथ पत्र संलग्न करें।
(3) ठेकेदारों के नाम का वैद्य पंजीयन की प्रति।
(4) बैंक साल्वेंसी की प्रति
(5) जी.एस.टी. पंजीयन की प्रति
(6) 3 वर्षों का ITR (इनकम टैक्स रिटर्न) एवं निविदा तिथि से 3 माह पूर्व का GSTR की प्रति।

लिफाफा ''ब'' में :- (1) निविदा प्रपत्र

टीप :- (1) उक्त लिफाफे रजिस्टर्ड डाक/ स्पीड पोस्ट से स्वीकार की जावेगी। (2) निविदा प्रपत्र प्राप्त करने तिथि में अवकाश होने पर आगामी तिथि को प्राप्त की जा सकती है एवं निविदा जमा करने एवं खोलने के तिथि में अवकाश हो जाने पर आगामी कार्यालयीन दिवस में कार्य संपादित की जावेगी। (3) ठेकेदार / सप्लायर्स के द्वारा अंतिम भुगतान से पूर्व जी.एस.टी. विभाग से बकाया व होने संबंधी प्रमाण पत्र (Tax Clearance Certificate) अथवा पूर्ण देय कर जमा किए जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।

निविदा से संबंधित अन्य जानकारी व शर्तें कार्यालयीन अवधि में प्राप्त की जा सकती है।

घरों से निकलने वाले गीला और सूखा कचरे को सफाई मित्र (वाहन) को देवें

कार्यपालन अभियंता
जोन क्रमांक 06
नगर पालिक निगम, रायपुर

संपादकीय

महबूबा मुफ्ती की पाक परस्ती

जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर पाक परस्त होने का सबूत दिया है। उन्होने कहा है कि भारत की न्यायपालिका से पाकिस्तान की न्यायपालिका बेहतर है। पाकिस्तान में एक व्यक्ति की लिंचिंग हुई तो छह लोगों को फांसी की सजा दे दी गई लेकिन भारत में लिंचिंग के मामलों में कड़ी सजा नहीं मिलती उल्टे लिंचिंग के आरोपियों का स्वागत किया जाता है। उन्होने यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा दिए जाने पर भी आपत्तिजनक बयान दिया और यह कहा है कि उम्र कैद की सजा मसले का हल नहीं है। उन्होने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह अल्पसंख्यकों के साथा अन्याय कर रही है। यह वहीं महबूबा मुफ्ती है जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिन्दुओं और सीखों पर होने वाले अत्याचार पर अपनी जुबान खोलने की जहमत नहीं उठाती। महबूबा मुफ्ती की पाक परस्ती कोई नई बात नहीं है। इसके पूर्व भी वे पाकिस्तान की भाषा बोलती रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सेना द्वारा चलाए जा रहे आपरेशन आलआउट का भी उन्होने विरोध किया था। उनका कहना था कि सेना निर्दोष लोगों को मारती है। यही बात पाकिस्तानी हुक्मरान भी करते है। पत्थरबाजों की भी महबूबा मुफ्ती सबसे बड़ी पैरोकार बनी थी। केन्द्र सरकार ने जब जम्मू कश्मीर से 370 खत्म करने का ऐलान किया तो पाकिस्तान से ज्यादा विरोध तो महबूबा मुफ्ती ने किया था। उन्होने यहां तक दावा किया था कि यदि 370 हटा तो कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी और कोई तिरंगा उठाने वाला ही नहीं मिलेगा लेकिन 370 खत्म हो गया और वहां किसी ने चू चपड़ तक नहीं की और आज कश्मीर के कोने कोने में पूरी आन बान और शान के साथ तिरंगा लहरा रहा है। यही बात महबूबा मुफ्ती को रास नहीं आ रही है क्योंकि अब उनकी राजनीतिक दुकानदारी बंद होने जा रही है। यही वजह है कि वे भारत के खिलाफ जहर उगलती रहती है और पाकिस्तान की शान में कसीदे पढ़ती रहती है। समझ में नहीं आता कि इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी करने वाली मजबूबा मुफ्ती के खिलाफ केन्द्र सरकार कड़ी कार्यवाही करने से आखिर क्यों हिचकिचा रही है।

विचार

विनाशकारी है, जातीय-जनगणना

खबर है कि 1 जून को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीशकुमार एक सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं, जो बिहार में जातीय जनगणना की रुप-रेखा तय करेगी। पहले भाजपा इसका विरोध कर रही थी, अब वह भी इस बैठक में शामिल होगी। नीतीश इस सवाल पर दो बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल चुके हैं। जहां तक मोदी का सवाल है, वह जातीय जनगणना के पक्के विरोधी हैं। जब 2010 में जातीय जनगणना के विरुद्ध मैंने दिल्ली में जन-अभियान शुरु किया तो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर मोदी ने मुझे कई बार फोन किया और हमारे आंदोलन को अपने खुले समर्थन का एलान किया। उस आंदोलन में कांग्रेस, भाजपा, समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के अनेक बड़े नेता भी सक्रिय भूमिका अदा करते रहे। सोनिया गांधी ने न्यूयार्क से लौटते ही पहल की और 'मेरी जाति हिंदुस्तानी' के आग्रह पर जातीय जनगणना रुकवा दी। मनमोहनसिंह की कांग्रेस सरकार ने उन आंकड़ों को प्रकाशित भी नहीं होने दिया, जो हमारे आंदोलन के पहले इकट्ठे हो गए थे। मुझे खुशी है कि नरेंद्र मोदी ने भी अपने प्रधानमंत्री काल में उसी नीति को चलाए रखा। अब नीतीश जो पहल कर रहे हैं, वह बिहार के लिए नहीं, सारे देश के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकती है। वैसे नेताओं में नीतीश मेरे प्रिय हैं। उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए हिंदी के लिए और बिहार में शराबबंदी के लिए मेरे कई सुझावों को तुरंत लागू किया है लेकिन यदि जातीय जनगणना उन्होंने बिहार में करवा दी तो यह बीमारी सारे भारत में फैल जाएगी। कर्नाटक और तमिलनाडु में उसकी असफल कोशिश हो चुकी है। अब छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र की सरकारें भी इसे अपने यहां करवाना चाहती हैं। यदि सभी प्रांतों में जातीय जन-गणना होने लगी तो भारत की एकता के लिए यह विनाशकारी सिद्ध होगी। जातीय अलगाव मजहबी अलगाव से भी अधिक जहरीला है। 1947 में भारत के सिर्फ दो टुकड़े हुए थे, अब भारत हजारों-लाखों टुकड़ों में बंट जाएगा। पिछली जनगणना में 46 लाख जातियों और उप-जातियों का पता चला था। एक ही प्रांत में एक ही जाति के लोग अलग-अलग जिलों में अपने आपको उच्च या नीच जाति का मानते हैं। यदि जातीय आधार पर आरक्षण और सुविधाएं बंटने लगीं तो कौन जाति के लोग अपने आपको पिछड़ा या दलित साबित नहीं करना चाहेंगे? जातीय जन-गणना सामूहिक लूट-खसोट का हथियार बन जाएगी। वैसे देश के कुछ नेता इन आंकड़ों का इस्तेमाल कुर्सी पाने और उसे बचाने के लिए करते ही है। जातीय जनगणना देश के लोकतंत्र को भेड़तंत्र में बदल डालेगी। देश की न्यायपालिका, विधानपालिका और कार्यपालिका में ही नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में योग्यता की जगह जाति ही पैमाना बन जाएगी। गरीबी दूर करने का लक्ष्य धरा का धरा रह जाएगा। आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन क्या जाति के आधार पर मिल रहा है? नहीं, गरीबी के आधार पर मिल रहा है। जातीय जनगणना हुई तो यह आधार नष्ट हो जाएगा। देश में गरीबी बढ़ेगी। देश के 70 करोड़ से ज्यादा वंचितों का जातीय आरक्षण ने सबसे ज्यादा नुकसान किया है। सिर्फ 5-7 हजार सरकारी नौकरियों की रेवड़ियां बांटकर देश के 80 करोड़ गरीबी की रेखा के नीचे लोगों को उपेक्षा का शिकार क्यों बनाया जाए? जो लोग भारत का भला चाहते हैं, उन्हें जन्मना जातिवाद का डटकर विरोध करना चाहिए।

क्वाड सम्मेलन में दिखा भारत का प्रभाव

नीरज मनजीत

2017 में हालात पूरी तरह बदल चुके थे। दिल्ली में भाजपा सरकार थी, जो चीन का दबाव बर्दाश्त करने के मूड में नहीं थी। भारत चीन सरहद पर कई बार फ़ौजों के बीच फेस ऑफहो चुका था। चीन की बढ़ती विस्तारवादी आक्रामकता ने तक़रीबन पूरी विश्व बिरादरी के कान खड़े दिए थे। ऐसे में क्राड को ताक़तवर समूह के रूप में खड़ा करना सभी के लिए जरूरी था। 2017 से 2020 तक क्राड समूह के देशों के बीच मंत्री स्तरीय कूटनयिक वार्ताओं के साथ सैन्य अभ्यास भी हुए। आख़िर सितंबर 2021 में राष्ट्रपति जो बाइडेन की मेजबानी में वाशिंगटन में पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। पूरी दुनिया की निगाहें इस सम्मेलन के नतीजों पर टिकी हुई थीं। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने सम्मेलन से पहले कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती और स्वतंत्र-खुला हिन्द-प्रशांत महासागर इस वार्ता का मुख्य एजेंडा है। साथ ही क्षेत्रीय और आपसी रिश्तों को मजबूत बनाने तथा आपसी कारोबार पर भी चर्चा होगी।

मंगलवार को टोक्यो जापान में क्वाड देशों के शिखर सम्मेलन में भारत के नज़रिए से दो बातें साफ़ तौर पर उभरकर सामने आईं, पहली--वैश्विक बिरादरी के सभी ताक़तवर मुल्क भारत को एक तेजी से उभरती हुई महाशक्ति के रूप में देख रहे हैं। दूसरी--क्वाड समूह में भारत को एक भरोसेमंद लीडर का सम्मान दिया जा रहा है। क्वाड (क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता) समूह में चार देश--ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका-- शामिल हैं। जापान की मेजबानी में इन देशों के प्रमुख एंथोनी अल्बनीज़, फ़ोमियो किशिदा, नरेन्द्र मोदी और जो बाइडेन ने क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लिया। क्वाड की स्थापना जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने 2007 में अमेरिका के उपराष्ट्रपति डिक चेनी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जॉन हावर्ड और भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सहयोग से की थी। शुरुआत में इसका उद्देश्य इंडो-पैसिफिक रीजन में समुद्री रास्तों से आपसी व्यापार को आसान बनाने का था। साथ ही जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निबटना, स्वतंत्र-खुला-हिन्द-प्रशांत महासागर क्षेत्र और वैश्विक लोकतंत्र को मजबूत करना भी लक्ष्य था।

शुरू में इसे एक सांस्कृतिक और कारोबारी संगठन की तरह पेश किया गया। किंतु जल्दी ही इसके सदस्यों के बीच सामंजस्य की कमी नज़र आने लगी और इस पर चीन विरोधी गठबंधन होने के इल्ज़ाम लगने लगे। इस बात में कुछ सच्चाई भी थी। दरअसल हिन्द-प्रशांत इलाके में चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं से जापान काफी परेशान था। हर कीमत पर जापान इस चीनी विस्तारवाद को रोकना चाहता था। ऑस्ट्रेलिया भी चीन की हरकतों से परेशान था। अमेरिका और भारत चूंकि स्वाभाविक तौर पर चीन के ख़िलाफ़ हैं, इसलिए उन्हें क्वाड का महत्वपूर्ण कारक माना गया। क्वाड का गठन होते ही सरकारी चीनी मीडिया ने लगातार इसे चीन के विरुद्ध एक साज़िश बताकर प्रचारित किया। इधर इन्हीं वर्षों में भारत की कांग्रेस सरकार का झुकाव चीन की ओर बढ़ता चला जा रहा था। नतीजतन क्वाड आगे बढ़ने से पहले ठंडे बस्ते में चला गया। आख़िर, 2017 में चीन के बढ़ते खतरे के मुक़ाबले क्वाड को पुनर्जीवित किया गया। इसके उद्देश्यों को व्यापक और स्पष्ट बनाकर एक तंत्र का निर्माण किया गया, जिसका उद्देश्य धीरे-धीरे एक नियम-आधारित न्यायसंगत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित करना था।

2017 में हालात पूरी तरह बदल चुके थे। दिल्ली में भाजपा सरकार थी, जो चीन का दबाव बर्दाश्त करने के मूड में नहीं थी। भारत चीन सरहद पर कई बार फ़ौजों के बीच फेस ऑफ हो चुका था। चीन की बढ़ती विस्तारवादी आक्रामकता ने तक़रीबन पूरी विश्व बिरादरी के कान खड़े दिए थे। ऐसे में क्वाड को ताक़तवर समूह के रूप में खड़ा करना सभी के लिए जरूरी था। 2017 से 2020 तक क्वाड समूह के देशों के बीच मंत्री स्तरीय कूटनयिक वार्ताओं के साथ सैन्य अभ्यास भी हुए। आख़िर सितंबर 2021 में राष्ट्रपति जो बाइडेन की मेजबानी में वाशिंगटन में पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। पूरी दुनिया की निगाहें इस सम्मेलन के नतीजों पर टिकी हुई थीं। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने सम्मेलन से पहले कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती और स्वतंत्र-खुला हिन्द-प्रशांत महासागर इस वार्ता का मुख्य एजेंडा है। साथ ही क्षेत्रीय और आपसी रिश्तों को मजबूत बनाने तथा आपसी कारोबार पर भी चर्चा होगी। इधर चीन ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे ÷दक्षिण एशिया का नाटो÷ करार दे दिया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान का कहना था कि इस गुटबाजी से क्षेत्रीय ताकतों के बीच तनाव बढ़ेगा। ज़ाहिर है कि इस शिखर सम्मेलन के बाद दोनों पक्षों में तलवारें खिंच चुकी थीं।

उसी हफ़्ते ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर एक नए रणनीतिक संगठन आसुक का ऐलान भी कर दिया। घोषित तौर पर चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए इसका गठन किया गया है। साफ़था कि चीन पर रणनीतिक-सामरिक-मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना ही इन समूहों का लक्ष्य था। टोक्यो में दूसरे शिखर सम्मेलन में क्वाड समूह ज़्यादा मुखर अंदाज़ में चीन के ख़िलाफ़ आक्रामक दिखा। जो बाइडेन ने टोक्यो पहुँचते ही चीन को कड़ी चेतावनी दी कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप करने से नहीं चूकेगा। बाइडेन के बयान से अब बिल्कुल साफ़हो गया है कि चीन चाहे कुछ भी कहे क्वाड समूह बड़े ही मज़बूत इरादों से चीनी विस्तारवाद का प्रतिरोध करने के लिए खड़ा हो चुका है। दक्षिण कोरिया और वियतनाम को क्वाड का आमंत्रित सदस्य बनाकर उसे क्वाड प्लस नाम दिया गया है।

उसी हफ़्ते ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर एक नए रणनीतिक संगठन ÷आसुक÷ का ऐलान भी कर दिया। घोषित तौर पर चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना ÷बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव÷ का मुकाबला करने के लिए इसका गठन किया गया है। साफ़ था कि चीन पर रणनीतिक-सामरिक-मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना ही इन समूहों का लक्ष्य था। टोक्यो में दूसरे शिखर सम्मेलन में क्वाड समूह ज़्यादा मुखर अंदाज़ में चीन के ख़िलाफ़ आक्रामक दिखा। जो बाइडेन ने टोक्यो पहुँचते ही चीन को कड़ी चेतावनी दी कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप करने से नहीं चूकेगा। बाइडेन के बयान से अब बिल्कुल साफ़हो गया है कि चीन चाहे कुछ भी कहे क्वाड समूह बड़े ही मज़बूत इरादों से चीनी विस्तारवाद का प्रतिरोध करने के लिए खड़ा हो चुका है। दक्षिण कोरिया और वियतनाम को क्वाड का आमंत्रित सदस्य बनाकर उसे क्वाड प्लस नाम दिया गया है।

एक और महत्वपूर्ण बात टोक्यो में उभरकर आई--रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत की तटस्थ प्रभावशाली कूटनीति को पूरी वैश्विक बिरादरी में सम्मान की नज़र से देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच जबरदस्त भरोसेमंद केमिस्ट्री देखी गई। स्पष्ट है कि क्वाड, नाटो, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन भारत की दूरदृष्टा विदेशनीति की गहराई को समझ चुके हैं। चीन पर दबाव बनाए रखने के लिए क्वाड को भारत की जरूरत है। और भारत को रूस की भरोसे की दोस्ती की जरूरत है, ताकि चीन से तनाव के बीच रूस को तटस्थ रखा जा सके।

क्रिप्टो की अंधी गलियां

रवि कुमार

यदि आप क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करते हैं तो अपने वालेट या ट्रेडिंग वेबसाइट की जानकारी किस भी व्यक्ति विशेष के साथ साझा न करें। सदैव अपने वालेट और ट्रेडिंग वेबसाइट पर पैनी नजर रखें। समय-समय पर अपने पासवर्ड को बदलते रहे। किसी भी अनजान कॉल या नकली आप के झांसे में न पड़े रातों रात अमीर बनाने वाले प्लान्स से दूर रहें। किसी भी ऐप की किसी वेबसाइट से डाउनलोड न कर ऑथेंटिक सोर्स जैसे गूगल प्ले , एप्पल स्टोर इत्यादि से ही किसी भी ऐप को डाउनलोड कर सत्यापित जरूर करें, आँख बंद करके उपयोग में न लें। घटना के तुरंत बाद सभी जानकारियां अपने बैंक को दें, जिससे आगे आने वाली समस्या का पहले ही समाधान हो सके।

मैं आपका दर्द झकझोर देने वाले इस एक छोटे से किस्से के जरिए बयां कर रहा हूं। हालिया माय टोकन नाम की एक नकली ऐप निवेशकों को अरबों-खरबों रुपए का चूना लगाकर फुर्र हो गई। मानों, इंवेस्टर्स के स्वर्णिम सपने पलक झपकते ही धूल-धूसरित हो गए। यूं तो इस ऐप का श्रीगणेश अक्टूबर, 2021 को हुआ था। लोगों को लगा, अब तो रातों-रात धनवान हो जाएंगे क्योंकि ऐप तरह-तरह के लुभावने ऑफर देता था। प्रति सप्ताह माय टोकन ऐप तरह-तरह के आकर्षक ऑफर्स की स्कीम लांच करता रहता था, लेकिन निवेशक माय टोकन के मंसूबों से बेखबर रहे। मुंबई में अपना एक ऑफिस खोलने की फेक न्यूज़ भी इंटरनेट पर वायरल कर दी, जिससे धीरे-धीरे आवाम के बीच इस ऐप की पॉपुलैरिटी तो रातों-रात बढ़ती चली गई। कमाल तो यह है, इस ऐप का कोई आधिकारिक संपर्क विवरण भी नहीं था। बावजूद इसके लाखों इंवेस्टर्स ने इसमें अरबों-खराबों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर डाला। यकायक 1 अप्रैल, 2022 को निवेशकों को पैसे का रिर्टन बंद हो गया। इसके बाद माय टोकन की वेबसाइट पर नोटिस आया कि निवेशकों का पैसा सुरक्षित है और कुछ टाइम के बाद पैसे की निकासी शुरु हो जाएगी, लेकिन हुआ यह कि न तो ऐप रहा और न ही वेबसाइट। इंवेस्टर्स का अरबों-खरबों रुपया डूब गया। बहुतेरे लोग बर्बाद हो गए, जिन्होंने माय टोकन पर यकीन करके एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया था। इंवेस्टर्स के संग यह धोखा पहली बार नहीं हुआ है जब स्कैमर्स ने धोखाधड़ी की हो। इससे पहले ओटूओवीके, ओरिच ऐप, एचपीजेड टोकन, जाज़ बाइक ऐप, पावर बैंक ऐप, ओएमजी ब्रुश ऐप आदि फेक ऐप लाखों निवेशकों की पीठ में खंजर घोंप कर रफूचक्कर हो चुके हैं।

रातों-रात धन कमाने की सनक किसी को भी गर्त में झोंक देती है। माय टोकन तो महज एक उदाहरण है, लेकिन दुनिया का कोई भी इंसान इसी तरह बर्बाद होता है। जैसे आजकल स्कैमर्स नकली वेबसाइट और ऐप्स बना कर पब्लिक की रकम लूट रहे हैं। स्कैमर्स हमेशा आपकी गाढ़ी

मेहनत की कमाई का पैसा चुराने की फिराक में रहते हैं। चैनेलिसिस के डाटा हमें न केवल चौंकाते हैं बल्कि चेताते भी हैं। आंकड़े बताते हैं, दुनिया में क्रिप्टोकरेंसी का कुल ट्रांजेक्शन 2021 में बढ़कर 15.8 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। क्रिप्टोकरेंसी में कानूनी लेन-देन के मुकाबले अवैध लेन-देन ज्यादा है, जो दिन प्रतिदिन सुपरसोनिक विमान की गति से बढ़ता ही जा रहा है। आजकल क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग और वालेट की हज़ारों नकली वेबसाइट्स इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। नकली वेबसाइट असली वेबसाइट के डोमेन जैसा नाम ही उपयोग में लेते हैं, जिससे उपयोकर्ता को असली और नकली डोमेन में फर्क करना बड़ा कठिन हो जाता है। इसी क्रम में स्कैमर्स ने नए-नए तरीक़े इज़ाद कर लिए हैं। इन नकली वेबसाइट को अधिक भरोसेमंद बनाने के लिए स्कैमर्स नकली रिकाड्र्स और प्रशंसापत्र शो करते हैं। केरल पुलिस ने 1200 करोड़ की नकली क्रिप्टोकरेंसी का भंडाफोड़ किया। नागपुर में 40 करोड़ से ज्यादा क्रिप्टो निवेश के धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। पुणे पुलिस ने आला अफसर के वॉलेट से चोरी 900 से ज्यादा बिटकॉइन की तफ्तीस कर रही है, जिनकी मौजूदा कीमत 320 करोड़ से भी अधिक है।

स्कैमर्स नकली वेबसाइट और क्रिप्टो वालेट बनाकर रखते हैं, जो असली वेबसाइट और वॉलेट से मिलते-जुलते होते हैं। इन वेबसाइट और वालेट की लिंक्स को इंस्टाग्राम ,फेसबुक और टेलीग्राम सरीखे सोशल मीडिया प्लेटफार्मस पर ग्रुप बना कर लोगों के सूचनाएं साझा की जाती हैं। हैकर्स के जरिए तैयार की गई कुछ विशेष प्रकार की लिंक उपयोग में लाई जाती हैं, जो ईमेल, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के जरिए रैंडम्ली लोगों को भेजी जाती हैं। उपयोगकर्ता यदि इन लिंक्स पर अपनी जानकारियां साझा कर देता है तो हैकर्स इन इनपुट्स का उपयोग कर अपराध को अंजाम देते हैं। ठगी करने वालों के जरिए लोगों को किसी नए टोकन के बारे में जानकारी दी जाती है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिए इंफोरमेशन्स देकर लोगों को सम्मोहित किया जाता है, जिससे लोग उस टोकन में पैसा इन्वेस्ट कर बैठते हैं। इससे टोकन की कीमत काफी बढ़ जाती है, स्कैमर्स अपनी होल्डिंग्स को अच्छे दामों में बेचकर निकल जाते हैं। कुछ ही घंटों में टोकन की कीमत एकदम से गिरा जाती है, इससे लोगों का पैसा डूब जाता है। गूगल प्ले जैसे सरीखे प्लेटफार्म पर सैकड़ों नकली क्रिप्टोऐप्स मिल जाती हैं। लोग इन्हें डाउनलोड कर अपना पैसा गवां देते हैं। हालांकि इन ऐप्स को गवर्नमेंट की ओर से जल्दी ही बैन कर दिया जाता है, लेकिन तब तक बहुत से लोगों का पैसा डूब चुका होता है। स्कैमर्स, लोगों को मेल या संदेश भेज कर धमकियां देते हैं। आपके द्वारा देखी गई एडल्ट वेबसाइट का रिकॉर्ड उनके पास है। इसके बदले अगर आप उनको क्रिप्टोवालेट की जानकारी या क्रिप्टोकरेंसी नहीं देंगे तो वे आपको बेनकाब कर देंगे।

(लेखक : नार्थ इंडिया की नामचीन प्राइवेट

पाठकों की बात

पत्र, प्रतिक्रियाएं, सोशल मीडिया

देख स्वयं के अक्स

देख स्वयं के अक्स को जब दर्पण सच बोल गया तन को सुंदर दिखा दिया, दर्पण मन को खोल गया। लोभ,मोह,माया में पड़कर रिश्तों को क्यों छोड़ गया बैठ परायों के बीच में, अपनो का स्नेह भूल गया। क्यों इतना मद करता बन्दे कुछ भी साथ न जाएगा पाई-पाई जो जोड़ी तूने, कुछ भी साथ न ले जाएगा। हाड़-माँस का तन ये तेरा जिस पर तुझको अभिमान है लोटा भरकर राख ही, तेरी यह पहचान है। **- सपना परिहार**

राजा के संतान मे

राजा के संतान मे सामंती सोच पैदायशी होता है ,वे एक झटके मे किसी कि भी इज्जत उतार सकते है । सत्ता से दूर होने का खीझ दिखा कल उत्तर प्रदेश विधान सभा मे। एक ने अपनी जमीन खुद तैयार की है एक को सत्ता विरासत मे मिली जिसे वे सम्भाल नही सके। **- एड. अरूण कुमार गुप्ता**

खास पाती

कभी जमीं कभी आसमां को

कभी जमीं कभी आसमां को मकाम समझें हैं, जो दिल अज़ीज़ हैं मतलब सलाम समझें हैं। जो भी महसूस हो उतार दो कागज के सीने पे, रखते जो नजरे खास दिल से कलाम समझें हैं। शक्ल-ओ-सूरत का दोस्तों दिल से क्या वास्ता, जो दिल से दिल मिल जाए तो इमाम समझें हैं। उसे क्या मालूम जिंदगी की गुल्लक भरें कैसे, जो जरा सी इशरत को ही सुबहो शाम समझें हैं। वक्त से वक्त चुराने का हुनर है सीखना समझो, वरना लाज़िम है वक्त के सर इल्ज़ाम समझें हैं। हाथ खाली है तो क्या झलकती है सदाकत यूं , गैरों से भी हो तज़किरा तो एहतराम समझें हैं। क्या कहें रखते हैं क्या अहमियत जिंदगी में वो, ÷विजय÷जो मोहब्बत को हमारी क़याम समझें हैं। **- विजय लक्ष्मी राय**

हां कितनी लालची होती हैं औरतें

हां कितनी लालची होती हैं औरतें भरा रहता है उनमें ताउम्र लालच पूरी उम्र गुज़ार देती हैं लालच में हां लालच लालच अच्छी बेटी, बहन अच्छी पत्नी, अच्छी बहू अच्छी माँ और अच्छी औरत कहलाने का लालच इस अच्छा कहलवाने में त्याग देती हैं अपनी इच्छाएं वार देती हैं अपनी खुशियां दफ़्ना देती हैं अपने अरमान छुपा आँचल में अपने आँसू करती रहती हैं ढोंग खुशी का ,पूर्णत्या का बस इस लालच में के कहें उसे अब अच्छा न सिर्फ उम्र भर बल्कि मरने के बाद भी अच्छा कहलाने का लालच सच कितनी लालची होती हैं न औरतें। **- प्रिया वाच्छानी**

आपका चौबीस घंटे, ऑनलाइन

आपका चौबीस घंटे, ऑनलाइन रहना मुझे खलता है। इसके बाहर इक दुनियां है, जहां झूँठ से पर्दा खुलता है। यहां दिन रात की मेहनतों से,दो जून की रोटी मिलती है। सिर्फ आपके शॉल श्रीफल से प्रिये,ये घरबार नहीं चलता है। **- राज कुमार शर्मा**

मृत्यु समीप खड़ी थी वह मुस्कुराया और अपने आपसे कहा

मृत्यु समीप खड़ी थी वह मुस्कुराया और अपने आपसे कहा कुछ रह गया है कर्तव्य या सारे कर्म पूरे हो गए? यदि कोई कर्म रह गया हो तो हे मृत्यु तू लौट जा माना ये जिंदगी एक पन्ना मात्र है पर पन्ने को नहीं पता वह एक उपन्यास का अंश है सभी पात्र पुनः कहीं न कहीं मिलते हैं किस पन्ने पर? नहीं पता। मोक्ष ! कर्तव्य कर्म से मुख मोड़ना। पुनः:पुनः: आवागमन और हर आगमन में परिष्कृत संस्कार ।

- नवीन शंकर शर्मा

सुनों वफ़ा में झुकना कभी गुस्ताखी नहीं होती है मुझमें भी मोहब्बत कि

सुनों वफ़ा में झुकना कभी गुस्ताखी नहीं होती है मुझमें भी मोहब्बत कि मैं हूँ तो तुम हो तुम से बड़ी.. कोई इबादत नही होती है तुम हो वफ़ा है मोहब्बत के नाम कभी खुद से बग़ावत नही होती है कि नंदिता हुनर है मोहब्बत का तुम्हीं पर आज तक ये इनायत नही होती।

-नंदिता तनूजा

तेरी ख्वाबों को हर रोज सजाया जीवन की डोर को तुमने निभाया अब भी वहीं

तेरी ख्वाबों को हर रोज सजाया जीवन की डोर को तुमने निभाया अब भी वहीं जुनूनियत हैं तेरे चाहत का भोर अब भी वहीं तेरे साथ का मंजर ऑखों में सही हैं चिरागों कि महफिल में हम नहीं हैं पर साथ होने कि बात ही कुछ अजीब कशिश सी हैं जो हर बार साथ कर ही जाती हैं। **- सोनू कुमार आकाश**

QUIZ TIME

1) हाल ही में संगीत अकादमी का प्रसिद्व संगीता कलानिधि पुरस्कार किसे मिला है?
2) हाल ही में किस देश ने अब तक के सबसे अधिक ऊंचाई वाले फैशन शो इवेंट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है?
3) लाई हराओबा का प्राचीन त्योहार हाल ही में किस राज्य में मनाया गया?
4) पहला इंडिया प्रोटीन डे किस वर्ष मनाया गया ?
5) किस भारतीय व्यक्तित्व की जयंती को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया गया है?

Ramaquiz

उत्तरमाला- (1) एस सौम्या (2) नेपाल (3) मणिपुर (4) 2020 (5) ए पी जे अब्दुल कलाम

आज का इतिहास

नई दिल्ली (वार्ता)। 1414- खिज्र खां ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर सैय्यद वंश की नींव रखी। 1674- जर्मनी की संसद ने फ्रांस के खिलाफयुद्ध की घोषणा की। 1883- स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर का जन्म। 1908- जासूसी उपन्यास जेम्स बॉन्ड के लेखक इयान फ्लेमिंग का जन्म। 1918- अजरबैजान स्वतंत्र हुआ और उसने स्वयं को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। 1923 - प्रसिद्ध अभिनेता एवं तेलुगू देशम पार्टी के संस्थापक एन टी रामाराव का जन्म। 1940- द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान बेल्जियम ने जर्मनी से हार मानी। 1952- यूनान में महिलाओं को मताधिकार मिला। 1956- फ्रांस ने अपने सभी भारतीय उपनिवेशों को भारत को सौंपा। 1959- अमेरिका ने दो बंदरों को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक भेजा। 1961- मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना। 1963- बंगाल की खाड़ी में आये चक्रवाती तूफान से करीब 22 हजार लोगों की मौत। 1964- प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक महबूब खान का निधन। 1965- धनबाद की ढोरी खदान में आग और विस्फोट से 400 लोगों की मौत। 1971- तत्कालीन सोवियत रूस ने मंगल ग्रह पर उतरने वाले पहले अंतरिक्ष यान मार्स-3 का प्रक्षेपण किया। 1989- मारथाकवली डेविड भारत की पहली और विश्व की दूसरी महिला ईसाई पादरी बनी। 1996- रूस विद्रोही प्रांत चेचन्या को अधिकतम स्वायत्ता देने पर सहमत हुआ। 1996- तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस्तीफा दिया।

न्यूज गैलरी

बिजली की शिकायतों को दर्ज करने एवं पूछताछ करने टेलीफोन नंबर हुआ जारी

भिलाई/नवप्रदेश)। सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर सेवाएं विभाग के आधीन नगर विद्युत अभियांत्रिकी विभाग के महाप्रबंधक (विद्युत) द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार नागरिक सुविधा हेतु भिलाई टाउनशिप में विद्युत अवरोध की स्थिति में शिकायतों को दर्ज करने एवं उस संबंध में पूछताछ करने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। प्रथम पाली एवं द्वितीय पाली में कंट्रोल रूम का नम्बर 07882857162 है तथा रात्रि पाली हेतु कंट्रोल रूम का नम्बर 07882858181 है। अतः उपभोक्ता पाली अनुसार इन कंट्रोल रूम का नम्बरों का प्रयोग विद्युत अवरोध की शिकायत व पूछताछ हेतु कर सकेंगे।

कलेक्टर ने अपात्र हितग्राहियों का पुनरीक्षण करने का दिया निर्देश

दुर्ग/नव प्रदेश। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे द्वारा नगर पालिका कुम्हारी का दौरा किया गया। यहां उनके द्वारा पूर्व में किए गए पट्टे के सर्वे कार्य का निरीक्षण किया गया। जिसमें पात्र और अपात्र हितग्राहियों का पुनरीक्षण करने का निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिया। नगर पालिका कुम्हारी में प्रथम चरण में राजीव गांधी आश्रय योजना अंतर्गत 1091 आवेदन प्राप्त हुए थे जिसमें 471 पात्र एवं 620 अपात्र पाये गये। द्वितीय चरण में 620 में 86 हितग्राहियों को पात्र कर पट्टा वितरित किया गया। नगर पालिका कुम्हारी में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में पट्टे से संबंधित कुल 154 आवेदन प्राप्त हुए थे। जिनका त्वरित निराकरण करने का निर्देश कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को दिया।

शहरी पथ विक्रेताओं को विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जाएगा : महापौर बाकलीवाल

दुर्ग/नवप्रदेश। विधायक अरुण वोरा एवं महापौर धीरज बाकलीवाल के मार्गदर्शन में नगर निगम आयुक्त हरेश मंडावी के निर्देश पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की टीम ने शहरी पथ विक्रेताओं को विभिन्न योजनाओं से जोड़े जाने हेतु कार्य प्रारंभ कर दिया है। स्वनिधि से समृद्धि योजना अंतर्गत 10000 रुपये ऋण प्राप्त कर चुके पथ विक्रेताओं का सामाजिक आर्थिक प्रोफाइलिंग किया जा रहा है। इस योजना में ऐसे पथ विक्रेता जिन्होंने पूर्व में स्वनिधि योजना अंतर्गत? 10000 लोन का लाभ लिया हैं उनके परिवार का सामाजिक आर्थिक प्रोफाइलिंग किया जा रहा है। ताकि इन्हें शासन की अन्य योजनाओं का लाभ दिया जा सके।स्व निधि से समृद्धि योजना अंतर्गत प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना,प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, आयुष्मान योजना जैसी विभिन्न योजनाओं से पथ विक्रेता व उनके परिवार के सदस्यों को पात्रता के आधार पर लाभान्वित किया जाएगा।

भिलाई निगम क्षेत्र में जारी विकास कार्यों की अपर आयुक्त ने की समीक्षा

बैठक में प्रगतिरत कार्य को गुणवत्तापूर्वक व शीघ्र करने के दिए निर्देश

नव प्रदेश संवाददाता

भिलाईनगर। भिलाई निगम के अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने भिलाई निगम क्षेत्र में जारी विकास कार्यों को लेकर बैठक आयोजित की। निगम क्षेत्र के सभी स्कूलों एवं आंगनबाड़ीयों में पेयजल आपूर्ति एवं शिविर में प्राप्त राशनकार्ड से संबंधित आवेदनों का शीघ्रता से निराकरण करने कहा। मुख्यमंत्री मितान योजना, अवैध प्लाटिंग, प्रधानमंत्री आवास, पेयजल, धन्वंतरी योजना, गोठान और आजीविका गतिविधियों को गंभीरता से लेकर कार्य करने के निर्देश दिए।

निगम के सभागार में आज महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे के निर्देश अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने भिलाई निगम क्षेत्र में विकास कार्यो एवं संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। बैठक में सभी जोन आयुक्तों व योजना से संबंधित अधिकारी कर्मचारियों से कार्यों की जानकारी लेते हुए शासन की योजनाओं को हर व्यक्ति को लाभान्वित कराने के उददेश्य लेकर कार्य करने कहा। बैठक में प्रधानमंत्री आवास के निर्माणाधीन आवास और हितग्राहियों को मिलने वाली किश्त की संख्यात्मक जानकारी लेते हुए प्रक्रिया को जल्द पूरा करने कहा गया। भवन अनुज्ञा विभाग के अधिकारियों को भिलाई निगम क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग एवं अतिक्रमण, अवैध कॉलोनी की रोकथाम हेतु किए जा रहे कार्यो की जानकारी लेकर ऐसे अनैतिक कार्य करने वालों पर शिकंजा कसने के निर्देश दिए। राजीव गांधी आश्रय योजना के पट्टा वितरण, लीज एवं फ्री होल्ड, स्लम पट्टा धारक को भू स्वामी अधिकार देने के कार्यो की जानकारी लेते हुए कार्य में आ रही समस्या का निराकरण करते हुए कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। साफ सफाई, ऑनलाईन भवन अनुज्ञा, पेंशन प्रकरण सहित शिविर में प्राप्त होने वाले समस्याओं के आवेदनों को बिना लेटलतीफी के निराकरण करे ताकि कोई भी आवेदन पेंडिंग न हो।

प्लेटमिल के कर्मचारियों को शिरोमणि पुरस्कार से किया गया सम्मानित

नव प्रदेश संवाददाता

भिलाई। प्लेट मिल विभाग में शिरोमणि पुरस्कार योजना के अंतर्गत जनवरी से मार्च-2022 हेतु कर्म शिरोमणि पुरस्कार एवं पाली शिरोमणि प्रदान किया गया। शिरोमणि पुरस्कार समारोह का आयोजन प्लेट मिल विभाग के सभागार में 26 मई को किया गया। इस सम्मान समारोह में प्लेट मिल के विभाग प्रमुख एवं मुख्य महाप्रबंधक (प्लेट मिल), आरके बिसारे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। सर्वप्रथम विभाग प्रमुख एवं मुख्य महाप्रबंधक (प्लेट मिल), श्री आर के बिसारे ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इसके तहत माह जनवरी-2022 हेतु रमेश शर्मा, मास्टर ऑपरेटर, प्रचालन अनुभाग को, माह फरवरी 2022 हेतु पी ताता राव, चार्जमैन कम सिनियर तकनीशियन, यांत्रिकी अनुरंक्षण अनुभाग को एवं माह मार्च-2022 के लिये संजय श्रीवास्तव, ओसीटी, प्रचालन अनुभाग में कार्यरत को कर्म शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी क्रम में जनवरी से मार्च 2022 हेतु दान्नेद्र सिंग सहायक महाप्रबंधक, विद्युत अनुरंक्षण अनुभाग में कार्यरत को पाली शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस सम्मान का मुख्य उद्देश्य अपने कार्यस्थल/पाली में नवीनता, बेहतर संसाधनों का उपयोग एवं संगठनात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सुरक्षा के मानक मापदण्डों के साथ विभाग में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले कर्मठ एवं सृजनशील कार्मिकों को एक विशेष पहचान प्रदान कर सम्मानित करना है।

विधायक ने लिया जनसमस्या समाधान शिविर का जायजा

नव प्रदेश संवाददाता

दुर्ग। नगर पालिक निगम, दुर्ग सीमा क्षेत्र में जन समस्या समाधान शिविर में एक ऐसा वार्ड भी रहा है जिस वार्ड के नागरिको का कोई लंबित समस्या के निराकरण करने के लिए एक भी आवेदन प्राप्त नही हुआ । यह वार्ड क्रमांक 36 जहाँ से समस्याओं के संबंध में कोई आवेदन प्राप्त नही हुआ है । मोहन बाल मंदिर गंजपारा में आज शिविर का आयोजन किया गया जहाँ वार्ड 36, 37 एवं वार्ड क्रमांक 38 के नागरिकों की मूल समस्याओं के निराकरण करने के लिए शिविर आयोजित की गई। शिविर स्थल में विधायक अरूण वोरा भी पहुंचे जहां नागरिको से मिले एवं नागरिकों की समस्याएं सुनी। एमआईसी सदस्य ऋषभ जैन, भोला महोबिया, पार्षद श्रद्धा सोनी, नीता जैन एल्डरमैन अजय गुप्ता शिविर में पहुंचकर नागरिको का मार्गदर्शन किया । शिविर में आये लोगो से उनकी समस्याओ से अवगत होकर उन्हे शासन की योजनाओ के संबंध में जानकारियों दी गई तथा समस्याओ के निराकरण के प्रति गंभीरता दिखाई। शिविर स्थल में अलग अलग विभागों के संबंधित अलग-अलग काऊंटर टेबल लगाये गये थे जहां पर लोगो को समस्याओं के निराकरण किया जा रहा था। इस शिविर में पेंशन व राशन कार्ड के हितग्राहियों को त्वरित निराकरण करते हुए लेपटॉप व कम्प्युटर के माध्यम से समस्याओं का निराकरण किया गया तथा आबादी, पट्टा, पेयजल, साफ -सफाई सहित जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र व अन्य मांगो से संबंधित आवेदनों को सक्षम अधिकारियों को प्रेषित किया गया। शिविर स्थल में आज निगम आयुक्त हरेश मंडावी, कार्यपालन अभियंता आरके पाण्डेय, शंकर दयाल शर्मा, भवन अधिकारी प्रकाश थवानी, जनसमस्या समाधान शिविर के नोड़ल अधिकारी जावेद अली, स्वास्थ्य अधिकारी गिरीश दीवान,सुरेश केलवानी, सहित निगम के सभी विभागो से संबंधित सक्षम अधिकारी उपस्थित होकर शिविर में आये समस्याओं के संबंधित आवेदनो का निराकरण किया गया। मोहनलाल बाल मंदिर गंजपारा शिविर में कुल 121 आवेदन प्राप्त हुआ। जिसमें मांग से संबंधित 118 आवेदन और शिकायत संबंधी 3 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिसमें आबादी पट्टा के 41, आवास योजना के 58 आवेदन प्राप्त हुए जिसे सक्षम अधिकारी और संबंधित विभागीय अधिकारी की ओर मौके पर ही प्रेषित किया गया। निगम से संबंधित आवेदनो का मौके पर निराकृत किया गया तथा अन्य पेंशन एवं राशन कार्ड से संबंधित विभागो से संबंधित आवेदनो को विभागीय अधिकारियों का प्रेषित कर दी गई है एवं उसका त्वरित निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया।

न्यायालय अति. तहसीलदार दुर्ग जिला-दुर्ग (छ.ग.)

202205103300107
अ-74/2021-22

उद्घोषणा-पत्र

एतद् द्वारा सर्व साधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक अमनदीप जिनमानी पिता वाटूमल जिमनानी निवासी सिंधी कालोनी दुर्ग के द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि उनके भूमिस्वामी हक की भूमि मौजा ग्राम सिकोला प.ह.नं. 08 रा.नि.मं. सिकोला तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि ख.नं. 202/26 रकबा 0.4050 हे. भूमि दर्ज है। उक्त भूमि का मूल ऋण पुस्तिका गुम हो गया है। जिसका द्वितीय प्रति में ऋण पुस्तिका प्राप्त करने हेतु आवेदन इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करा हो तो नियत पेशी दिनांक 15/6/22 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते हैं। समयावधि समाप्त होने पर आपत्ति या दावा पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 24/5/22 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

जारी दिनांक 24/05/2022
पेशी दिनांक 15/06/2022

सील — अति. तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग

उद्घोषणा

अ-06/2021-22

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक राजेन्द्र हरपाल पिता स्व. टिकन हरपाल निवासी दल्लीराजहरा तहसील बालोद के द्वारा रिसाली तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 415/85 का टु. रकबा 1440 वर्गफुट भूमि को विक्रेता राजेन्द्र सिंह पिता नारायण सिंह अन्य 02 निवासी ग्राम रिसाली से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 21/1/22 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 10/06/2022 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते हैं। समयावधि पश्चात आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 24/5/22 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

जारी दिनांक 24/05/2022
सुनवाई दिनांक 10/06/2022

सील — तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. नं. 202205100400320

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक निरोद बरन मंडल आ. जीवन कृष्ण मंडल निवासी कातुलबोर्ड द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम कातुलबोर्ड प.ह.न. 20 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 49/10 रकबा 0.0730 हें/ 4500 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 20/5/22 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग के न्यायालय में मामला

मामले की श्रेणी-राजस्व

क्रमांकः सीजी 5106230032022010
रिसाली प.ह.न. 00022 हे.

ईश्तहार

तह. दुर्ग के प.ह.नं. 00022 के अंतर्गत ग्राम रिसाली के भूमिस्वामी बहे.मु. आम संजय कुमार साहू पिता/पति स्व.एन.एस.वासु पता म.नं. 12/एफ स्ट्रीट-8 सेक्टर-7 भिलाई नगर तह. व जिला दुर्ग, शशिकांत सिंह पिता/पति एस.बी.सिंह पता प्लाट नं. 1 स्ट्रीट नं. 5/ई प्रगति नगर रिसाली भिलाई तह.व जिला दुर्ग के द्वारा धारित भूमि खसरा नं. 274/77 (0.0063) में नामांतरण/अभिलेख दुरूस्ती/खाता विभाजन के लिए प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पंजी विचाराधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई दिनांक 27/5/22 को समय सुबह 11 बजे स्थान न्यायानय तहसीलदार दुर्ग पर की जावेगी।

अतः इस संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/ संस्था को उजर दावा हो सुनवाई तिथि के पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा । यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 10/5/22 को जारी किया जाता है।

तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग के न्यायालय में मामला

मामले की श्रेणी-राजस्व

क्रमांकः सीजी 5106419052022050
पोटियाकला प.ह.न. 00055 हे.

ईश्तहार

तह. दुर्ग के प.ह.नं. 00055 के अंतर्गत ग्राम पोटियाकला के भूमिस्वामी दिनेश कुमार पिता/पति पंचराम पता बोरसी वार्ड नं. 52 दुर्ग तह. व जिला दुर्ग, बहे.मु.आम. पुन्नीन बाई पिता/पति स्व. समेदास पता बोरसी वार्ड नं. 52 दुर्ग तह. व जिला दुर्ग, बहे. मु.आम महाबती पिता/पति पंचराम पता बोरसी वार्ड नं. 52 दुर्ग तह. व जिला दुर्ग, बहे.मु.आम. सुखिया बाई पिता/पति पंचराम पता बोरसी वार्ड नं. 52 दुर्ग तह. व जिला दुर्ग, बहे.मु. आम. तोरन बाई, पिता/पति पंचराम पता बोरसी वार्ड नं. 52 दुर्ग तह. व जिला दुर्ग, बहे.मु.आम. हेमिन बाई पिता/पति पंचराम पता बोरसी वार्ड नं. 52 दुर्ग तह. व जिला दुर्ग, बिटावन बाई पिता/पति पंचराम पता बोरसी वार्ड नं. 52 दुर्ग तह. व जिला दुर्ग, राजेश कुमार पिता/पति पंचराम पता बोरसी वार्ड नं. 52 दुर्ग तह. व जिला दुर्ग, सुरेश कुमार पिता/पति पंचराम पता बोरसी वार्ड नं. 52 दुर्ग तह. व जिला दुर्ग, के द्वारा धारित भूमि खसरा नं. 399/3 (0.0204) में नामांतरण/अभिलेख दुरूस्ती/खाता विभाजन के लिए प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पंजी विचाराधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई दिनांक 06/06/2022 को समय सुबह 11 बजे स्थान न्यायानय तहसीलदार दुर्ग पर की जावेगी।

अतः इस संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/ संस्था को उजर दावा हो सुनवाई तिथि के पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा । यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 23/5/22 को जारी किया जाता है।

तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग के न्यायालय में मामला

मामले की श्रेणी-राजस्व

क्रमांकः सीजी 5106419052022049
पोटियाकला प.ह.न. 00055 हे.

ईश्तहार

तह. दुर्ग के प.ह.नं. 00055 के अंतर्गत ग्राम पोटियाकला के भूमिस्वामी दिनेश कुमार पिता/पति पंचराम पता बोरसी वार्ड नं. 52 दुर्ग तह. व जिला दुर्ग, बहे.मु. आम. तोरन बाई, पिता/पति पंचराम पता बोरसी वार्ड नं. 52 दुर्ग तह. व जिला दुर्ग, बहे.मु.आम. पुन्नीन बाई पिता/पति स्व. समेदास पता बोरसी वार्ड नं. 52 दुर्ग तह. व जिला दुर्ग, बहे.मु.आम. हेमिन बाई पिता/पति पंचराम पता बोरसी वार्ड नं. 52 दुर्ग तह. व जिला दुर्ग, बहे. मु.आम महाबती पिता/पति पंचराम पता बोरसी वार्ड नं. 52 दुर्ग तह. व जिला दुर्ग, बहे.मु.आम. सुखिया बाई पिता/पति पंचराम पता बोरसी वार्ड नं. 52 दुर्ग तह. व जिला दुर्ग, बिटावन बाई पिता/पति पंचराम पता बोरसी वार्ड नं. 52 दुर्ग तह. व जिला दुर्ग, राजेश कुमार पिता/पति पंचराम पता बोरसी वार्ड नं. 52 दुर्ग तह. व जिला दुर्ग, सुरेश कुमार पिता/पति पंचराम पता बोरसी वार्ड नं. 52 दुर्ग तह. व जिला दुर्ग, के द्वारा धारित भूमि खसरा नं. 399/3 (0.0210) में नामांतरण/अभिलेख दुरूस्ती/खाता विभाजन के लिए प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पंजी विचाराधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई दिनांक 06/06/2022 को समय सुबह 11 बजे स्थान न्यायानय तहसीलदार दुर्ग पर की जावेगी।

अतः इस संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/ संस्था को उजर दावा हो सुनवाई तिथि के पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा । यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 23/5/22 को जारी किया जाता है।

तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग के न्यायालय में मामला

मामले की श्रेणी-राजस्व

क्रमांकः सीजी 5124925032022006
पोटियाकला प.ह.न. 00055 हे.

ईश्तहार

तह. दुर्ग के प.ह.नं. 00055 के अंतर्गत ग्राम पोटियाकला के भूमिस्वामी दिनेश कुमार पिता/पति पंचराम पता बोरसी वार्ड नं. 52 दुर्ग तह. व जिला दुर्ग, बहे.मु. आम. तोरन बाई, पिता/पति पंचराम पता बोरसी वार्ड नं. 52 दुर्ग तह. व जिला दुर्ग, बहे.मु.आम. पुन्नीन बाई पिता/पति स्व. समेदास पता बोरसी वार्ड नं. 52 दुर्ग तह. व जिला दुर्ग, बहे. मु.आम महाबती पिता/पति पंचराम पता बोरसी वार्ड नं. 52 दुर्ग तह. व जिला दुर्ग, बहे.मु.आम. सुखिया बाई पिता/पति पंचराम पता बोरसी वार्ड नं. 52 दुर्ग तह. व जिला दुर्ग, बहे.मु.आम. हेमिन बाई पिता/पति पंचराम पता बोरसी वार्ड नं. 52 दुर्ग तह. व जिला दुर्ग, बिटावन बाई पिता/पति पंचराम पता बोरसी वार्ड नं. 52 दुर्ग तह. व जिला दुर्ग, राजेश कुमार पिता/पति पंचराम पता बोरसी वार्ड नं. 52 दुर्ग तह. व जिला दुर्ग, सुरेश कुमार पिता/पति पंचराम पता बोरसी वार्ड नं. 52 दुर्ग तह. व जिला दुर्ग, के द्वारा धारित भूमि खसरा नं. 399/3 (0.0204) में नामांतरण/अभिलेख दुरूस्ती/खाता विभाजन के लिए प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पंजी विचाराधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई दिनांक 27/05/2022 को समय सुबह 11 बजे स्थान न्यायानय तहसीलदार दुर्ग पर की जावेगी।

अतः इस संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/ संस्था को उजर दावा हो सुनवाई तिथि के पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा । यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 10/5/22 को जारी किया जाता है।

तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

आनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202205100400268
श्रीमती प्रीति गोयल

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती प्रीति गोयल पति पराग गोयल निवासी नेहरू नगर भिलाई द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा. सं. 1959 की धारा 172/ 59 (2)(5) के तहत् आवेद पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं। जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा क्षेत्रफल	प्रयोजन
ग्राम कोहका प.ह.न 19 तहसील व जिला दुर्ग	6852/3 6859/1 6852/2	0.050 हे. 12182वफी 0.040 हे. 0.030 हे. कुल 0.120 हे.	व्यवसायिक

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन एक सप्ताह तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 17.05.2022 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग, जिला-दुर्ग

नाम-परिवर्तन

मैं शपथकर्ता सैय्यद हसन (Syed Hassan) पिता सैय्यद अब्दुल्ला (Syed Abdulla) उम्र-55 वर्ष पता 610, वार्ड नं. 41 गुलमोहर अपार्टमेंट के पीछे, केलाबाड़ी दुर्ग तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं। मेरा नाम व पता उपरोक्तानुसार है। मेरे आधार कार्ड क्र. 317451368064 है जिसमें मेरा नाम एस स्पेद हरसन (S-Syed Hassan) पिता एस.सैय्यद अब्दुल्ला (S- Syed Abdulla) दर्ज हो गया है जो कि गलत नाम है जबकि मेरा सही नाम सैय्यद हसन (Syed Hassan) पिता सैय्यद अब्दुल्ला (Syed Abdulla) है जिसे अपने आधार कार्ड में दर्ज करवाना चाहता हूं। जिसके सत्यता के प्रमाण यह शपथ पत्र सक्षम अधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं।

मुहर — शपथकर्ता सैय्यद हसन

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र- 202205100700363//अ-06/वर्ष 2021-22

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक अमित सिंह वगै पिता स्व. गुरूचरण सिंह सोहल निवासी ग्राम हनुमान नगर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम कातुलबोर्ड तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 47/72 रकबा 0.011 हे. भूमि जो कि आवेदक/शामिलात सखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार गुरूचरणजीत सिंह की मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 13/6/22 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 25/5/22 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नजूल जांच अधिकारी दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र- 32 //अ-20(1)/ वर्ष 2021 -22

आवेदिका श्रीमती झरना रानी दास पति स्व. आर.बी.दास निवासी हुडको भिलाई तह. व जिला दुर्ग द्वारा इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया है कि आदमी नगर हुडको भिलाई में स्थित ख.नं.1/2, 2/1 का टुकड़ा प्लाट नं. एमआईजी 1/923 रकबा 150.00 वर्गमीटर भूखंड/मकान आवेदिका के नाम पर नजूल अभिलेख में दर्ज है एवं पट्टे की अवधि 31/03/2038 तक वैध है। आवेदिका/ धारक द्वारा उक्त भूखण्ड को अपने पुत्र सुभाशीष दास के नाम पर पंजीकृत दान पत्र दिनांक 19/06/2020 को निष्पादित किया है। आवेदिका द्वारा पंजीकृत दानपत्र के आधार पर प्रश्नाधीन भूखंड अपने पुत्र के नाम पर नामांतरण किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतएव् एतद द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को आपत्तिया दावा हो प्रकरण की सुनवाई 15/6/22 या इसके पूर्व इस न्यायालय में स्वतः उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या जिस भूखण्ड संबंधी जानकारी हो आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत किया जावे अथवा करवाया जावं। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 27/5/22 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर — नजूल जांच अधिकारी दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नजूल जांच अधिकारी दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र- 2022025103800035//अ-20(3)/ वर्ष 2021 -22

आवेदिका श्रीमती ढेलाबाई यादव पति स्व. बाबूलाल निवासी बैगापारा/ठेठवार पारा दुर्ग द्वारा इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया है कि नजूल भूमि शीट क्र. 28 डी प्लाट नं. 173/3 रकबा 53 वर्गमीटर भूमि धारक लालजी आ. कोंदा रावत मो. बैगापारा दुर्ग के नाम पर नजूल अभिलेख में दर्ज है। धारक लालजी की मृत्यु दिनांक 04/08/1980 को हो चुकी है। धारक के विधिक वारिसान उनके पुत्र बाबूलाल, लखनलाल, भागवत है। जिसमें से बाबूलाल की मृत्यु दिनांक 02/03/2002 को एवं भागवत यादव की मृत्यु दिनांक 28/03/2014 को हो चुकी है। मृतक बाबूलाल के वारिसान उनकी पत्नी ढेलाबाई, पुत्र गोपाल, पुत्री गीता, सीता राखी है। मृतक भागवत यादव के वारिसान उनकी पत्नी नीरा यादव, पुत्र अनिल पुत्री ममता है। इसके अतिरिक्त अन्य वारिसान नहीं है। आवेदिका द्वारा मृतक धारक का नाम नजूल अभिलेख से विलोपित कर उनके स्थान पर उनके विधिक वारिसानों का नाम फौती नामांतरण दर्ज किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतएव् एतद द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को आपत्तिया दावा हो प्रकरण की सुनवाई 10/06/2022 या इसके पूर्व इस न्यायालय में स्वतः उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या जिस भूखण्ड संबंधी जानकारी हो आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत किया जावे अथवा करवाया जावं। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 24/5/22 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर — नजूल जांच अधिकारी दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र-20220510120083//अ-74/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका रामकली पिता/पति स्व. कन्हैया लाल देशमुख निवासी बिरेझर के द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि उनके भूमि भूमि स्वामी हक की भूमि मौजा ग्राम बिरेझर प.ह.नं. 30 रा.नि.मं. अंजोरा ख तह. व जिला स्थित भूमि खसरा नंबर 1219, 745 रकबा 0.5900, 0.0600 हे. भूमि दर्ज है। उक्त भूमि का मूल ऋण पुस्तिका गुम हो गया है जिसका द्वितीय प्रति में ऋण पुस्तिका प्राप्त करने हेतु आवेदन इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 10/6/2022 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 24/5/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायलयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नजूल जांच अधिकारी दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र- //अ-20(3)/ वर्ष 2021 -22

आवेदिका प्रहलाद कुमार जोशी पिता स्व. दामोदर प्रसाद पता मैथिलपारा दुर्ग द्वारा इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया है कि दुर्ग स्थित नजूल भूमि शीट क्र. 29 सी प्लाट नं. 302 रकबा 94 वर्गमीटर भूमि धारकगण कौशलकुमार जोशी, प्रहलाद, जोशी आ. दामोदर प्रसाद नि. मैथिलपारा के नाम पर नजूल अभिलेख में दर्ज है। सहधारक कौशल प्रसाद की मृत्यु दिनांक 27/05/2020 को एवं उनकी पत्नी शांतिबाई की मृत्यु दिनांक 05/12/2021 को निःसंतान हो चुकी है। आवेदक द्वारा मृतक सहधारक का स्वयं वारिस होना, लेख करते हुए प्रश्नाधीन नजूल अभिलेख से मृतक सहधारक का नाम विलोपित कर स्वयं का नाम यथावत रखे जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतएव् एतद द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को आपत्तिया दावा हो प्रकरण की सुनवाई 10/06/2022 या इसके पूर्व इस न्यायालय में स्वतः उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या जिस भूखण्ड संबंधी जानकारी हो आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत किया जावे अथवा करवाया जावं। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 27/5/22 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर — नजूल जांच अधिकारी दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2021-22

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक ज्ञानी प्रसाद चंदेल पिता/पति तिलक दास चंदेल निवासी ग्राम पोटियाकला वार्ड 53 दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम पोटियाकला तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 334/2, 402/3 एवं 403/3 रकबा कुल 0.8610 हे. भूमि जो कि आवेदक/शामिलात सखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार सावित्री की मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 10/06/2022 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 23/5/22 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नजूल जांच अधिकारी दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र-150 //अ-20(1)/ वर्ष 2021 -22

आवेदक गणपत सिन्हा आ. पतिराम सिन्हा निवासी ढीमरपारा दुर्ग की ओर से अधिवक्ता श्री बलराम वर्मा द्वार इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया है कि दुर्ग स्थित नजूल भूमि शीट क्र. 29 डी भूखंड क्र. 10 क्षेत्रफल 27 वर्गमीटर भूमि धारकगण गणपत, राजेश, मुरानी सभी पिता पतिराम सिन्हा दुर्ग के नाम पर नजूल अभिलेख में दर्ज है। सहधारकगण राजेश, मुरानी द्वारा उक्त भूखंड का टु. 18 वर्गमीटर भूखण्ड आवेदक के पक्ष में पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 17/03/2022 को निष्पादित किया है। आवेदक द्वारा उक्त पंजीकृत हक त्याग पत्र के आधार पर प्रश्नाधीन भूखण्ड से एक त्यागकर्ता सहधारकों का नाम विलोपित कर स्वयं का नाम नजूल अभिलेख में यथावत रखे जाने हेतु आवदन पत्र प्रस्तुत किया है। जिसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतएव् एतद द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को आपत्तिया दावा हो प्रकरण की सुनवाई 17/06/2022 या इसके पूर्व इस न्यायालय में स्वतः उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या जिस भूखण्ड संबंधी जानकारी हो आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत किया जावे अथवा करवाया जावं। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 25/05/2022 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर — नजूल जांच अधिकारी दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नजूल जांच अधिकारी दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र-149 //अ-20(1)/ वर्ष 2021 -22

आवेदक गणपत सिन्हा आ. पतिराम सिन्हा निवासी ढीमरपारा दुर्ग की ओर से अधिवक्ता श्री बलराम वर्मा द्वार इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया है कि दुर्ग स्थित नजूल भूमि शीट क्र. 29 ए भूखंड क्र. 54 क्षेत्रफल 35 वर्गमीटर भूमि धारकगण गणपत, राजेश, मुरानी सभी पिता पतिराम सिन्हा दुर्ग के नाम पर नजूल अभिलेख में दर्ज है। सहधारकगण राजेश, मुरानी द्वारा उक्त भूखंड का टु. 23.33 वर्गमीटर भूखण्ड आवेदक के पक्ष में पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 17/03/2022 को निष्पादित किया है। आवेदक द्वारा उक्त पंजीकृत हक त्याग पत्र के आधार पर प्रश्नाधीन भूखण्ड से एक त्यागकर्ता सहधारकों का नाम विलोपित कर स्वयं का नाम नजूल अभिलेख में यथावत रखे जाने हेतु आवदन पत्र प्रस्तुत किया है। जिसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतएव् एतद द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को आपत्तिया दावा हो प्रकरण की सुनवाई 17/06/2022 या इसके पूर्व इस न्यायालय में स्वतः उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या जिस भूखण्ड संबंधी जानकारी हो आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत किया जावे अथवा करवाया जावं। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 25/05/2022 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर — नजूल जांच अधिकारी दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2021-22

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक छोटेलाल कोरी पिता स्व. सहदेव राम निवासी ग्राम बैलाडीला तहसील व जिला दंतेवाड़ा के द्वारा ग्राम रिसाली तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 328/11 रकबा 0.011 हे. भूमि जो कि आवेदक/शामिलात सखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार सहदेव राम की मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 13/6/22 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 25/5/22 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक सनद कुमार आ. पूरनलाल ताम्रकार साकिन बोड़ेगांव द्वारा बोड़ेगांव प.ह.नं. 14 तह. व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि ख.नं. 161/5, 555/2 रकबा 0.82, 0.03 हे. का खाता विभाजन किए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विधिवत सुनवाई कर हल्का पटवारी को फर्द बंटवारा हेतु आदेशित किया गया था जिस पर हल्का पटवारी द्वारा फर्द बंटवारा तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतः हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत फर्द बंटवारा के आधार पर उपरोक्त भूमि की खाता विभाजन किए जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 06/06/2022 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 25/5/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायलयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक बसंत कुमार नेताम आ. बलीराम नेताम साकिन महमरा द्वारा ग्राम महमरा प.ह.न. .... रा.नि.मं. दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 207, 297, 310, 401 रकबा कुल 0.61 हे. जो उसके स्व. बलीराम आ. सोनऊ के नाम पर दर्ज है की फौती दर्ज किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि को आवेदक के नाम पर नामांतरण किए जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 10/6/2022 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 25/5/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायलयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र- 202205101200085//अ-06/वर्ष 2021-22

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक अशोक कुमार पिता रामाधीन निवासी खाड़ा मौजा निकुम प.ह.नं. 32 रा.नि.मं. अंजोरा ख तह. व जिला दुर्ग द्वार ख.नं. 1289 रकबा 0.700 हे. को खाता विभाजन कर अलग अलग ऋण पुस्तिका प्रदान करने हेतु न्यायालय में आवेदन पेश किया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 13/6/22 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 20/5/22 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2021-22

आवेदक ओंकार साहू पिता रतन लाल साहू उम्र 47 वर्ष जाति तेली निवासी वार्ड नं. 56 उरला तह. व जिला दुर्ग के द्वारा मौजा ग्राम करहीडीह प.ह.नं. 49 रा.नि.मं. सिकोला तह. व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 60 रकबा 0.47 हे. भूमि आवेदक के पिता रतन लाल साहू के नाम पर दर्ज है। आवेदक के पिता रतन लाल साहू पिता हीरा लाल की 10/11/2021 को चुका है। आवेदक द्वारा फौती नामांतरण हेतु आवेदन मय मृत्यु प्रमाण पत्र एवं बी-1 की छाया प्रति प्रसतुत किया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 20/6/22 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 26/5/22 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र- 202205103300110/अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक ओंकार साहू पिता/पति रतन लाल साहू निवासी वार्ड क्र. 56 उरला मौजा उरला प.ह.नं. 07 रा.नि.मं. सिकोला तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 503/3, 768/1 रकबा 0.004, 0.182 हे. आवेदक के रामसिंग व अन्य के नाम पर दर्ज है। भूमिस्वामी दिनांक 14/11/1998 की मृत्यु हो जाने के कारण वारिसानों का नाम दर्ज करने आवेदन पेश किया गया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 16/6/22 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 25/5/22 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2021-22

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक दीपक कुमार चतुर्वेदी पिता स्व. सुंदर लाल चतुर्वेदी निवासी ग्राम रिसाली तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम रिसाली तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1051/1 रकबा 0.053 हे. भूमि जो कि आवेदक/शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार / वसीयतकर्ता सुंदर लाल चतुर्वेदी के द्वारा आवेदक के पक्ष में दिनांक 18/1/2012 को पंजीकृत/अपंजीकृत वसीयतनामा निष्पादित किया गया है। वसीयतकर्ता की मृत्यु हो जाने पर पंजीकृत/अपंजीकृत वसीयतनामा के अधार पर आवेदक का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 20/6/22 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 25/5/22 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

राजीव युवा मितान क्लब व ग्रामीणों ने छेड़ी अवैध शराब के खिलाफ मुहिम, रैली निकाल तस्करों को चेताया

■ ग्रामीण बोले- पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग का नहीं मिल रहा अपेक्षित सहयोग

सुप्रीत शर्मा

बालोद/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ बालोद ब्लाक के ग्राम तरौद में राजीव युवा मितान क्लब से जुड़े युवाओं सहित गांव के जागरूक ग्रामीणों ने अवैध शराब के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। यहां अवैध शराब बिक्री बढ़ती जा रही है। जिससे गांव का माहौल खराब हो रहा है। इसे सुधारने के लिए युवाओं और बड़े बुजुर्गों ने साथ-साथ कदम बढ़ाया है और टीम बनाकर काम करना शुरू किया है। जिसके तहत शराब बेचने वालों के खिलाफ विरोध रैली निकाली गई। इस रैली के माध्यम से उन्हें आगाह किया गया कि वे सुधर जाए अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। तरौद में नशा मुक्ति अभियान के तहत राजीव युवा मितान क्लब, ग्राम विकास समिति, ग्राम पंचायत तरौद एवं स्व सहायता समूह के माताओं के संयुक्त तत्वावधान में रामायण मंच पर एकत्रित होकर रैली निकाली गई। पूरे ठु शेष पृष्ठ 6 पर

गांव में जोर शोर से नारेबाजी करते हुए भाटापारा की गलियों में भी चौंक चौराहे पर सभा लिए और शराब के अवैधानिक बिक्री करने वाले दलालों को खरी खोटी कहते हुए उन्हें सावधान किया गया कि आज के बाद गांव में कहीं पर भी कोई शराब नहीं बेचेंगे और ना ही सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते हुए नजर आएंगे। ऐसा करते पाए जाने पर उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

इन्होंने छेड़ी अवैध शराब के खिलाफ मुहिम : रैली में धर्मेन्द्र रामटेके अध्यक्ष ग्राम विकास समिति, महेंद्र दास मानिकपुरी अध्यक्ष राजीव युवा मितान क्लब, शिव राम धलेंद्र सरपंच ग्राम पंचायत तरौद, समाज सेवी शंभू साहू, झग्गर सिंह कौशिक अध्यक्ष अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग कांग्रेस कमेटी ग्रामीण बालोद, ओमप्रकाश साहू अध्यक्ष मंदिर समिति, नेतराम निषाद, मिलाप दास मानिकपुरी, गोपेंद्र कौशिक, चमन लाल साहू, नमन कोसमा, संत विश्वकर्मा, सुदर्शन कोसमा, कमलेश दास मानिकपुरी ग्राम कोटवार एवं स्व सहायता समूह के अध्यक्ष सचिव व ग्राम के युवा बुजुर्ग और माताओं की वृहद संख्या में उपस्थिति रही।

अफसरों पर लगाया निष्क्रियता का आरोप

ग्रामीणों ने पुलिस और आबकारी विभाग के अफसरों पर निष्क्रियता का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में बढ़ते अवैध शराब बिक्री को लेकर कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। कई बार थाने में शिकायत की है। गांव में 20 से 25 लोग शराब बिक्री में संलिप्त है। जो गांव का माहौल खराब कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के कुछ लोग आबकारी विभाग में भी काम करते हैं। जब कहीं किसी के यहां छापा पड़ना रहता है तो पहले से ही सूचना पहुंच जाती है। जिसके चलते शराब बेचने वाले सचेत हो जाते हैं और छापा पड़ता भी है तो वहां कुछ नहीं मिलता है। इस तरह संलिप्तता के चलते ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जो चिंता का विषय है और इसी बात को ध्यान रखते हुए गांव में युवाओं और ग्रामीणों ने मिलकर अवैध बिक्री को रोकने गांव के बिगड़ते माहौल को सुधारने का प्रयास शुरू किया है।

मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत 91 आवेदकों का काउंसिलिंग

गरियाबंद/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत् कौशल प्रशिक्षण के हेतु हितग्राहियों के चयन के लिये काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन 26 मई गुरूवार को शासकीय औद्योगिक शिक्षण संस्थान जाड़ापदर मैनपुर में किया गया था। कांउसलिंग में सिक्योरिटी गार्ड कोर्स में 25, असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन कोर्स में 33 एवं डोमेस्टिक डाटा एन्ट्री ऑपरेटर कोर्स में 33 कुल 91 हितग्राहियों का आवेदन प्राप्त हुआ एवं सभी की काउंसलिंग की गई। काउंसलिंग उपरांत असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन कोर्स के पात्र हितग्राहियों को पंजीकृत वीटीपी - शासकीय आईटीआई मैनपुर में तथा सिक्योरिटी गार्ड एवं डोमेस्टिक डाटा एन्ट्री ऑपरेटर कोर्स के पात्र हितग्राहियों का पंजीकृत वीटीपी - जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी गरियाबंद में प्रशिक्षण शीघ्र ही प्रारंभ किया जायेगा। काउंसलिंग में टीकम नागवंशी, स्थानीय प्रेरक, परियोजना कमार/भुंजिया विकास अभिकरण गरियाबंद, संतोष ध्रुव, प्राचार्य, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मैनपुर, सृष्टि मिश्रा, सहायक संचालक, जिला कौशल विकास प्राधिकरण गरियाबंद, मोनिका भितारिया, महात्मा गांधी नेशनल फेलो गरियाबंद, नागेन्द्र सिंग शिक्षक, जनपद पंचायत मैनपुर एवं छात्रावास अधीक्षक मैनपुर की उपस्थिति में संपन्न हुआ।

स्थानांतरण होकर दूसरे जिलों से आये इंस्पेक्टरों की एसपी ने ली बैठक

कवर्धा/नवप्रदेश। एसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने दूसरे जिलों से स्थानांतरण पर आये नवागंतुक अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में बेहतर पुलिसिंग करने अपराध तथा अपराधियों पर लगाम लगाने, अवैध शराब बिक्री, जुआ, सट्टा, अवैध गांजा परिवहन एवं बिक्री पर अंकुश लगाकर महिला एवं बालक बालिकाओं से संबंधी अपराधों को गंभीरता से लेते हुए असामाजिक तत्व पर सख्त उचित वैधानिक कार्यवाही करने व पुलिस एवं जनता के मध्य बेहतर संबंध स्थापित करने हेतु लगातार थाना क्षेत्र में भ्रमण कर आम जनों से मुलाकात कर यदि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की असामाजिक तत्व है तो उनकी जानकारी लेकर सख्त कार्यवाही करने तथा थानों में यदि कोई पीड़ित आए तो उनसे बेहतर व्यवहार कर उनकी समस्याओं को जानकर अपराध पंजीबद्ध कर उचित कार्यवाही करने तथा गुम बालक बालिकाओं से संबंधित थाने में दर्ज प्रकरणों का जल्द से जल्द निराकरण कर गुम बालक बालिकाओं को सुरक्षित परिजनों को सुपुर्द करने एवं नक्सल गतिविधियों का विशेष ध्यान रखते हुए वनांचल क्षेत्रों में मुखबिर तंत्र को मजबूत करने निर्देशित किया गया। उक्त बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर रावटे, उप. पुलिस अधीक्षक मुख्यालय मोनिका सिंह परिहार, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पंडरिया नरेंद्र कुमार बेंताल, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बोड़ला जगदीश उइके, उप पुलिस अधीक्षक जय सिंह मरावी एवं जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारी एवं नवागंतुक निरीक्षक थाना/चौकी प्रभारी उपस्थित रहे।

सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, खेल आदि उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दृढ़ संकल्पित राजगामी संपदा

◗ नगर विकास सहित सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल आदि विषयों पर राजगामी की मुहर

राजनांदगांव/नवप्रदेश। सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा की साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई जिसमें अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों ने साधारण सभा की बैठक में समिति की बायलाज के अनुरूप सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, खेल, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण सहित अन्य विषयों पर अपनी मुहर लगाई। बैठक के प्रारंभ में प्रबंधकारिणी की बैठक 4 मई 2022 में लिए गए सभी विषयों के निर्णय का अनुमोदन किया गया। जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 14.68 करोड़ के बजट, प्रेस क्लब के सदस्यों को आवास निर्माण हेतु भूमि आबंटन का अनुमोदन सहित अन्य महत्वपूर्ण विषय पर मुहर लगाई। सभी सदस्यों ने बारी-बारी से सभी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विषय पर सुझाव और विषय पर चर्चा कर प्रस्ताव पारित किया, जिसमें मुख्य रूप से हॉकी खिलाड़ियों के लिए सामग्री उपलब्ध कराना, नगर निगम क्षेत्र में राज्य शासन की महत्त्वाकांक्षी योजना कृष्ण कुंज अंतर्गत फ लोद्यान और पीपल, बरगद, नीम सहित ऑक्सीजन युक्त पौधरोपण हेतु 5 एकड़ राजगमीय संपदा की भूमि का चयन, तहसील परिसर में आने वाले पक्षकारों की बैठने आदि की व्यवस्था हेतु प्रतीक्षा कक्ष निर्माण, मूलभूत सुविधा के तहत वाटर कूलर की स्थापना, कमला कॉलेज के सामने पौनी पसारी के बाजू में रिक्त भूमि पर शॉपिंग कॉम्पलेक्स निर्माण, राजगामी संपदा कार्यालय का जीर्णोद्धार, सोमनी हॉस्पिटल में दांत चिकित्सा में सहयोग हेतु एक्स-रे मशीन उपलब्ध कराना, वृद्धाश्रम, अनाथालय, मूकबधिर, मानसिक रूप से पिछड़े, दिव्यांग बच्चों के आश्रम में सुविधा हेतु आर्थिक सहयोग, प्रतिवर्ष युवा खेल प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने, महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं के सशक्तिकरण सहित अन्य मुद्दे शामिल है।

शाला विकास के लिए गोद लेने का लिया निर्णय

शिक्षा के क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए बैठक में प्रतिवर्ष दो शाला के विकास हेतु गोद लेने कभी निर्णय लिया गया। इस वर्ष छुरिया के प्राथमिक शाला एवं पांडादाह के स्कूल को गोद लिया गया। इसके अलावा ग्राम सोमनी में गौठान हेतु भूमि देने, छुरिया में विश्राम गृह निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को भूमि देनेए तथा ग्राम मनेरी और छुरिया के गोपालपुर में तालाब निर्माण की भी स्वीकृति प्रदान की। खेल के क्षेत्र में भारोत्तोलन में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने और नगर का गौरव बढ़ाने वाली खिलाड़ी के कोच अजय और हॉकी के नेशनल कोच अनुराग श्रीवास्तव को राजगामी संपदा कार्यालय में श्रीफल और शाल देकर अध्यक्ष सहित सदस्यों ने सम्मानित किया। साधारण सभा की बैठक में अध्यक्ष विवेक वासनिक, सदस्य मिहिर झा, गोवर्धन देशमुख, खंडेलवाल, लीलाराम भोजवानी, अन्नापूर्णा देवी वैष्णव राजगामी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अरूण वर्मा, व्यवस्थपक प्रफुल्ल गुप्ता, अभियंता अग्रहरि आदि उपस्थित थे।

प्रथम पेज का शेष

केन्द्र की सत्ता में ...

भाजपा की विचारधारा के मूल में है, को पूरा किया जा सके। अंत्योदय का अर्थ है कतार में अंतिम व्यक्ति की सेवा करना है। मामले से अवगत व्यक्ति ने कहा, बातचीत से सरकार को यह समझने में भी मदद मिलेगी कि योजनाओं ने गरीबों को कैसे लाभ पहुंचाया है, उन्हें उन क्षेत्रों पर भी प्रतिक्रिया मिलेगी, जिनमें और सुधार की आवश्यकता है।卐 प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के साथ बातचीत के लिए स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और पोषण अभियान जैसी योजनाओं के लाभार्थियों को बुलाया जाएगा। साथ ही किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त भी किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।

50,000 लाभार्थी ...

को भी संदेश देंगे। प्रधानमंत्री रिज के मैदान से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। खबरों के मुताबिक करीब 50,000 किसान/लाभार्थी शिमला में पीएम मोदी की रैली में शामिल होंगे।

ड्रग्स सिंडिकेट को ...

देश में फैल गया लेकिन, सरकार इसे रोकने में असमर्थ रही है।

सितंबर 2021 में पकड़ी गई 21 हजार करोड़ की ड्रग्स

छोटी-छोटी खेप आती रही लेकिन बड़ी खेप अप्रैल 2021 में 150 करोड़ की और सितम्बर 2021 में 21 हजार करोड़ का ड्रग्स बरामद हुआ। अप्रैल 2021 में 150 करोड़, 28 अप्रैल को 450 करोड़, सितम्बर 2021 में तीन हजार करोड़ और कल ही मुंद्रा पोर्ट से 52 किलो कोकीन बरामद की गई।

कवर्धा के इंदौरी ...

द्वारा सही जांच नहीं करने का आरोप भी लगाया है। पत्नी ज्योति नायर ने इसे सुपारी किलिंग बताया- मृतक की पत्नी ज्योति नायर ने इसे जमीन विवाद में सुपारी किलिंग बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। साथ ही पुलिस द्वारा सही जांच नहीं करने का आरोप भी लगाया है। बता दें कि अगस्त-2021 में विश्वनाथ नायर की हत्या कवर्धा के राजपरिवार के फार्म हाउस हुई थी। राजकीय संपत्ति को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद के बीच राजमाता के भतीजे की हत्या हुई थी। इस चर्चित हत्याकांड की पुलिस द्वारा सही जांच नहीं किए जाने व षड़यंत्र का आरोप लगाते हुए राजपरिवार की ही सदस्य ज्योति नायर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट में न्यायाधीश रजनी दुबे की सिंगल बेंच में मामला लगा था। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 11 जनवरी 2022 को सीबीआई जांच का आदेश दिया है। हालांकि पुलिस इस मामले का पहले ही खुलासा कर चुकी है। पुलिस का दावा था कि 5 लोगों ने मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया है।

एक-एक चीज की बारीकी से जांच-

कवर्धा के इंदौरी फार्महाउस में हुए हाईप्रोफाइल विश्वनाथ नायर हत्याकांड की जांच सीबीआई की टीम कर रही है । इसी सिलसिले में सीबीआई व उनकी एफएसएल की टीम शुक्रवार को हत्या वाली जगह इंदौरी के फार्म हाउस पहुंची। जहां सेंपल लिए गए,एक-एक चीज की बारीकी से जांच की गई। कुछ लोगों से पूछताछ भी की गई है । हालांकि किसी तरह की जानकारी मीडिया को नहीं दी गई है। मर्डर कांड में सीबीआई जांच कर रही है । ये दूसरी बार है,जब सीबीआई की टीम जांच के लिए कवर्धा पहुंची थी। जांच में प्रमुख रूप पुलिस की जांच में छूटे बिन्दू तय किए गए हैं। जो परिजनों ने न्यायालय को बताए थे । पूरे मामले को संपत्ति विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। मृतक के परिजनों को लग रहा है कि ये हत्या लूट के लिए नहीं बल्की जमीन विवाद के चलते हुई थी । पुलिस सही आरोपियों तक नहीं पहुंच सकी है। वहीं अब इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है।

आय से अधिक संपत्ति...

दस दिन का समय मांगा गया। अदालत ने उन्हें राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट में इस बाबत अपील दायर करें।

चार अचल संपति भी जब्त करने के आदेश

अदालत ने अपने फैसले में सीबीआई को निर्देश दिया है कि गलत तरीके से अर्जित की गई चौटाला की हेली रोड, पंचकूला, गुरुग्राम व असोला की अचल संपति को जब्त कर लिया जाए। यह सभी अचल संपति सरकारी संपति खाते में जाएंगी। इसके अलावा चौटाला पर लगाया गया जुर्माना भी राजस्व में जमा होगा।

क्या था मामला

सीबीआई की एफआईआर के अनुसार, आरोपी ओम प्रकाश चौटाला ने 24 जुलाई, 1999 से 5 मार्च, 2005 की अवधि के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हुए अपने परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों की मिलीभगत से चल और अचल संपत्ति जमा की, जोकि उनकी आय के ज्ञात वैध स्रोतों से बहुत अधिक थी। जांच के दौरान चौटाला व उनके परिवार के नाम पर एक हजार 467 करोड़ रुपये की संपति पाई गई।

अभियोजन के मुताबिक, आरोपियों ने भारी संपत्ति जमा की और पूरे देश में हजारों एकड़ जमीन, मल्टी कॉम्प्लेक्स, महलनुमा आवासीय घर, होटल, फार्म हाउस, बिजनेस एजेंसियां, पेट्रोल पंप और अन्य निवेश के अलावा विदेशों में भारी निवेश किया। एफआईआर में यह भी कहा गया है कि नकदी और आभूषण के अलावा कुल 43 अचल संपत्तियां जमा की गईं। एफआईआर में सूचीबद्ध 43 कथित संपत्तियों के अलावा अतिरिक्त संपत्तियां भी आरोपी परिवार की होने का संदेह पाया गया।

नौसेना की तैयारी हिन्द ..

का अनुभव करने के बाद उनका भरोसा और भी पक्का हो गया है कि नौसेना हर स्थिति और परिस्थिति का सफलातपूर्वक सामना करने में सक्षम है। उन्होंने कहा, आज मुझे 'आई.एन.एस. खंडेरी' जो कि इंडियन नेवी की 'अटैक सबमरीन' है उसमें 'सार्टी' करने का मौका मिला। मैंने बहुत करीब से भारतीय नौसेना की पानी के भीतर की क्षमता को देखा। मैंने आज जो कुछ भी अनुभव किया उसके बाद मेरा भरोसा और भी पक्का हो गया है कि इंडियन नेवी एक ऐसी 'आधुनिक, सक्षम और विश्वसनीय ' फोर्स है जो कि हर स्थिति और परिस्थिति में सर्तक, बहादुर और विजयी रहने में सक्षम है।

उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना की गिनती दुनिया की अग्रणी नौसेनाओं में होती है और दुनिया की बड़ी बड़ी समुद्री ताकत भारत के साथ काम करने और सहयोग करने को तैयार है।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष हम आजादी का 'अमृत महोत्सव' मना रहे हैं तो देश में ही बना विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत लोकार्पण के लिए तैयार हो रहा है। विक्रांत और विक्रमादित्य मिलकर देश की समुद्री सुरक्षा को बहुत बड़ी मजबूती देंगे। नौसेना ने हाल ही में जिस तेज गति से नौसैनिक प्लेटफार्म लांच किये हैं उससे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' के अभियान को काफी मजबूती मिली है।

श्री सिंह ने कहा कि आईएनएस खंडेरी का लोकार्पण खुद उन्होंने ही किया था और यह मेक इन इंडिया क्षमता का शानदार उदाहरण है।

इससे पहले श्री सिंह ने सुबह कारवार नौसैनिक अड्डे पर नौसेना के अधिकारियों और नाविकों के साथ योगाभ्यास में भी हिस्सा लिया। श्री सिंह दो दिन की यात्रा पर गुरुवार को कारोबार नौसैनिक अड्डे पहुंचे थे।

कार्यालय नगर पंचायत कुरूद, जिला-धमतरी (छ.ग.)
पता-पुराना बाजार चौक कुरूद फोन 7705-223149
फैक्स 7705-223536 Email-npkurud@yahoo.in

ईश्तहार

नगर कुरूद प.ह.नं. 48 तहसील कुरूद जिला धमतरी (छ.ग.) एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री हरिशचंद ध्रुव पिता नम्मू राम ध्रुव निवासी कुरूद द्वारा इस निकाय में नामांतरण बाबत आवेदन पत्र पेश कर उल्लेख किया है कि आवेदक द्वारा स्थान वार्ड क्र. 14 कुरूद प.ह.नं. 48 तहसील कुरूद जिला धमतरी में स्थित भूमि खसरा नं. 694/1-6/2 का टुकड़ा रकबा 115.70 वर्गमीटर कच्चा मकान जो श्री नम्मू राम ध्रुव पिता अर्जुन ध्रुव निवासी कुरूद के नाम पर स्थित है। उसमें से आपसी बंटवारा में श्री हरिशचंद ध्रुव को 37.5 वर्गमीटर कच्चा मकान प्राप्त हुआ है, उक्त प्राप्त मकान को बटवारानामा एवं सहमति पत्र के माध्यम से आवेदक के नाम पर दर्ज करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत नामांतरण आवेदन के संबंध में जिस किसी व्यक्ति/संस्था को दावा/ आपत्ति करना हो तो वे नामांतरण ईश्तहार दिनांक से 30 दिनों के भीतर स्वतः अथवा वैध प्रतिनिधि के माध्यम से इस कार्यालय में उपस्थित होकर दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं, नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

सील | मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत कुरूद, जिला धमतरी (छ.ग.)

कार्यालय नगर पंचायत कुरूद, जिला-धमतरी (छ.ग.)
पता-पुराना बाजार चौक कुरूद फोन 7705-223149
फैक्स 7705-223536 Email-npkurud@yahoo.in

ईश्तहार

नगर कुरूद प.ह.नं. 48 तहसील कुरूद जिला धमतरी (छ.ग.) एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती गुंजा साहू पति विजय प्रताप साहू निवासी कुरूद द्वारा इस निकाय में नामांतरण बाबत आवेदन पत्र पेश कर उल्लेख किया है कि आवेदक द्वारा स्थान वार्ड क्र. 12 कुरूद प.ह.नं. 48 तहसील कुरूद व जिला धमतरी में स्थित भूमि खसरा नं. 222/396 रकबा 0.011 हे. खाली भूमि को विक्रेता श्री मुकेश साहू पिता भुरेलाल साहू निवासी कुरूद से पंजीकृत बैनामा दिनांक 18.04.2022 को पंजीकृत बैनामा के आधार पर आवेदक के नाम को नगर पंचायत कुरूद के मांग पंजी में दर्ज किए जाने हेतु निवेदन किया गया है।

अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत नामांतरण आवेदन के संबंध में जिस किसी व्यक्ति/संस्था को दावा/ आपत्ति करना हो तो वे नामांतरण ईश्तहार दिनांक से 30 दिनों के भीतर स्वतः अथवा वैध प्रतिनिधि के माध्यम से इस कार्यालय में उपस्थित होकर दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं, नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

सील | मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत कुरूद, जिला धमतरी (छ.ग.)

कार्यालय नगर पंचायत कुरूद, जिला-धमतरी (छ.ग.)
पता-पुराना बाजार चौक कुरूद फोन 7705-223149
फैक्स 7705-223536 Email-npkurud@yahoo.in

ईश्तहार

नगर कुरूद प.ह.नं. 48 तहसील कुरूद जिला धमतरी (छ.ग.) एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री ताराचंद ध्रुव पिता नम्म राम ध्रुव निवासी कुरूद द्वारा इस निकाय में नामांतरण बाबत आवेदन पत्र पेश कर उल्लेख किया है कि आवेदक द्वारा स्थान वार्ड क्र. 14 कुरूद प.ह.नं. 48 तहसील कुरूद व जिला धमतरी में स्थित भूमि खसरा नं. 694/1-6/2 का टुकड़ा रकबा 115.70 वर्गमीटर कच्चा मकान जो श्री नम्मू राम ध्रुव पिता अर्जुन ध्रुव निवासी कुरूद के नाम पर स्थित है। उसमें से आपसी बंटवारा में श्री ताराचंद ध्रुव को 37.5 वर्गमीटर कच्चा मकान प्राप्त हुआ है, उक्त प्राप्त मकान को बटवारानामा एवं सहमति पत्र के माध्यम से आवेदक के नाम पर दर्ज करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत नामांतरण आवेदन के संबंध में जिस किसी व्यक्ति/संस्था को दावा/ आपत्ति करना हो तो वे नामांतरण ईश्तहार दिनांक से 30 दिनों के भीतर स्वतः अथवा वैध प्रतिनिधि के माध्यम से इस कार्यालय में उपस्थित होकर दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं, नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

सील | मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत कुरूद, जिला धमतरी (छ.ग.)

कार्यालय नगर पंचायत कुरूद, जिला धमतरी (छ.ग.)
पता- पुराना बाजार चौक कुरूद, फोन 7705-223149
फैक्स 7705-223535 Email-npkurud@yahoo.in

:: नामांतरण ईश्तहार सूचना ::

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री कमता राम देवांगन पिता चिंता राम देवांगन निवासी ग्राम- भोथली के नाम पर नगर पंचायत क्षेत्रांतर्गत मंडी रोड कुरूद दुकान क्रमांक 22 साईज 7.5x8=160 वर्गफीट दुकान स्थायी लीज पर आबंटित है। उक्त दुकान के मलमा को श्री ऋषि कुमार देवांगन पिता स्व. लखन लाल देवांगन निवासी कुरूद के नाम पर नामांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

उपरोक्त नामांतरण में किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 30 दिवस के अंदर स्वयं उपस्थित होकर अपना आपत्ति दर्ज करा सकता है। बाद में प्राप्त दावा/ आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

सील | मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत कुरूद, जिला- धमतरी (छ.ग.)

कार्यालय, नगर पालिक निगम, जोन क्र. 5 रायपुर
ईदगाह भाठा, पानी टंकी, रायपुर (छ.ग.)
ph.No. 0771-40455819 Email rmczone5@gmail.com

ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना

नामांतरण प्र.क्र.-54 दिनांक 19.05.2022
वार्ड का नाम वार्ड- मं. लक्ष्मीनारायण दास-43

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड-43 स्थित भूमि 43/नया जो कि निगम अभिलेख में श्री स्व. मंगलमूर्ति अग्रवाल s/o स्व. रामकृष्ण अग्रवाल के नाम से दर्ज है जिसको श्रीमती मनीषा अग्रवाल w/o स्व. मंगलमूर्ति अग्रवाल ने रजिस्ट्री/शपथ पत्र/मृत्यु प्रमाण पत्र/ लिखित द्वारा वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

जोन कमिश्नर, जोन क्रमांक-5, नगर पालिक निगम, रायपुर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, जोन क्र. 5 रायपुर
ईदगाह भाठा, पानी टंकी, रायपुर (छ.ग.)
ph.No. 0771-40455819 Email rmczone5@gmail.com

ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना

नामांतरण प्र.क्र.-56 दिनांक 20.05.2022
वार्ड का नाम वार्ड- वामन राव लाखे-66

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड-66 स्थित भूमि RPR664A00159 जो कि निगम अभिलेख में श्रीमती फिरन्तीन बाई w/o अमृत लाल के नाम से दर्ज है जिसको 1, श्रीमती कल्पना दवे w/o जयंत दवे, 2. श्रीमती प्रीति माहेश्वरी w/o लीलत माहेश्वरी ने रजिस्ट्री/शपथ पत्र/मृत्यु प्रमाण पत्र/ लिखित द्वारा वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

जोन कमिश्नर, जोन क्रमांक-5, नगर पालिक निगम, रायपुर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, जोन क्र. 5 रायपुर
ईदगाह भाठा, पानी टंकी, रायपुर (छ.ग.)
ph.No. 0771-40455819 Email rmczone5@gmail.com

ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना

नामांतरण प्र.क्र.-55 दिनांक 19.05.2022
वार्ड का नाम वार्ड- मं. लक्ष्मीनारायण दास-43

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड-43 स्थित भूमि RPR561B00078 जो कि निगम अभिलेख में श्री मंगलमूर्ति अग्रवाल s/o स्व. रामकृष्ण अग्रवाल के नाम से दर्ज है जिसको श्रीमती मनीषा अग्रवाल w/o स्व. मंगलमूर्ति अग्रवाल ने रजिस्ट्री/शपथ पत्र/मृत्यु प्रमाण पत्र/ लिखित द्वारा वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

जोन कमिश्नर, जोन क्रमांक-5, नगर पालिक निगम, रायपुर

न्यायालय नजूल अधिकारी जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)
रा.प्र.क्र. 202205160100021
अ-20(3) 2021-22

ईश्तहार

आम जनता को इस ईश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आवेदनकर्ता पारसमल गोलछा पिता बंगता वरमल उम्र 67 वर्ष जाति गोलछा निवासी गीदम को वर्ष 2019-20 में राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत नगरीय क्षेत्र गीदम पहन 17 रानिमं व तहसील गीदम जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा स्थित नजूल भूमि खसरा नंबर 854/1 रकबा 1.5260 हे. भूमि में से प्राप्त 904 वर्गफुट भूमि के भूमिस्वामी हक प्रदाय किए जाने संबंधी प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

उक्त संबंध में किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो आपत्ति के स्पष्ट कारणों को उल्लेख करते हुए स्वयं या अपने मान्य प्रतिनिधि के माध्यम से दिनांक 02.06.2022 तक कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि पश्चात प्रस्तुत आपत्ति/अभ्यावेदन इस न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार आज दिनांक 24.05.2022 को जारी किया जाता है।

सील | नजूल अधिकारी, दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय रायपुर छ.ग.

क्रमांक/अस्प.प्रशा/2022/1775 — रायपुर, दिनांक 26.05.2022

निविदा आमंत्रण सूचना

जिला चिकित्सालय पंडरी रायपुर के लिए Commercial washing, machine, HYdro extraxctor machine, Dryer machine, Iron machine क्रय किया जाना है इच्छुक निर्माता कंपनी अथवा अधिकृत विक्रेताओं से मुहरबंद निविदाएं पंजीकृत डाक/ स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। संबंधित नियम शर्तों व अन्य जानकारी कार्यालयीन दिवसों में प्रातः 11 से संध्या 4 बजे तक मातृ एवं शिशु चिकित्सालय कालीबाड़ी रायपुर के मुख्य भण्डार शाखा से प्राप्त किया जा सकता है।

1. निविदा प्रपत्र मूल्य - रुपए 500/- वापसी (अयोग्य)
2. निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि - 17.06.2022 संध्या 4 बजे तक
3. निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि - 20.06.2022 संध्या 4 बजे तक
4. निविदा खोले जाने की तिथि - 21.06.2022 संध्या 4 बजे

जी-91590/2

सिविल सर्जन, सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय रायपुर छ.ग.

कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड धमतरी (छ.ग.)
E-mail ID-eedha-phe-cg@nic.in Telephone Number- 07722-238719

// ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा सूचना //

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से प्रपत्र- ''ए'' में प्रतिशत दर पर जल जीवन मिशन के सिंगल विलेज नलजल प्रदाय योजनांतर्गत निर्माण कार्यें हेतु निम्नलिखित आनलाईन (OnLine) निविदा आमंत्रित की जाती है।

स. क्र.	निविदा क्र./दिनांक सिस्टम टेंडर क्र.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रु. लाख में)
01	31/24.05.2022, 100527	विकासखंड नगरी के ग्राम हिर्रीडीह_SVS	49.55
02	32/24.05.2022, 100530	विकासखंड नगरी के ग्राम सरईटोला _SVS	49.98
03	33/24.05.2022, 100531	विकासखंड नगरी के ग्राम कोर्रा _SVS	48.49
04	34/24.05.2022, 100532	विकासखंड नगरी के ग्राम चिवर्री (मा) _SVS	49.04
05	35/24.05.2022, 100533	विकासखंड नगरी के ग्राम मगौद _SVS	42.30
06	36/24.05.2022, 100534	विकासखंड नगरी के ग्राम माडमसिल्ली _SVS	49.65
07	37/24.05.2022, 100535	विकासखंड नगरी के ग्राम लहसुनवाही _SVS	47.20
08	38/24.05.2022, 100536	विकासखंड नगरी के ग्राम बरपदर+मुहकोट+करही_SVS	49.96
09	39/24.05.2022, 100537	विकासखंड नगरी के ग्राम धोरागांव+मटियाबहरा न	25.35
10	40/24.05.2022, 100538	विकासखंड नगरी के ग्राम कट्टीगांव+फरसगांव+थोधाझिरिया_SVS	45.92
11	41/24.05.2022, 100539	विकासखंड नगरी के ग्राम खल्लारी+जोरातराई+उजरावन_SVS	48.01
12	42/24.05.2022, 100541	विकासखंड नगरी के ग्राम अमलीपारा_SVS	44.60
13	43/24.05.2022, 100542	विकासखंड नगरी के ग्राम कोटरवाही _SVS	48.84
14	44/24.05.2022, 100543	विकासखंड नगरी के ग्राम कुम्हड़ाकोट _SVS	47.89
15	45/24.05.2022, 100544	विकासखंड नगरी के ग्राम बरकोन्हा _SVS	39.96
16	46/24.05.2022, 100548	विकासखंड नगरी के ग्राम कोरेमुड़ा _SVS	40.88
17	47/24.05.2022, 100549	विकासखंड नगरी के ग्राम सिरौदकला _SVS	39.17
18	48/24.05.2022, 100550	विकासखंड नगरी के ग्राम पारधी _SVS	38.83
19	49/24.05.2022, 100551	विकासखंड नगरी के ग्राम जामपानी _SVS	37.87
20	50/24.05.2022, 100553	विकासखंड नगरी के ग्राम खड़ादाह _SVS	48.77
21	51/24.05.2022, 100554	विकासखंड नगरी के ग्राम बहीगांव _SVS	36.87
22	52/24.05.2022, 100555	विकासखंड नगरी के ग्राम लटियारा _SVS	39.80
23	53/24.05.2022, 100556	विकासखंड नगरी के ग्राम छिंदभर्री _SVS	43.27
24	54/24.05.2022, 100557	विकासखंड नगरी के ग्राम गट्टासिल्ली (रै.) _SVS	40.95
25	55/24.05.2022, 100558	विकासखंड नगरी के ग्राम गोविंदपुर _SVS	40.39
26	56/24.05.2022, 100559	विकासखंड नगरी के ग्राम बेन्द्रापानी _SVS	42.85
27	57/24.05.2022, 100560	विकासखंड नगरी के ग्राम डोकाल _SVS	47.30
28	58/24.05.2022, 100561	विकासखंड नगरी के ग्राम गेदरा _SVS	48.16
29	59/24.05.2022, 100562	विकासखंड नगरी के ग्राम चंदनबहरा _SVS	38.50
30	60/24.05.2022, 100563	विकासखंड नगरी के ग्राम कुम्हड़ा _SVS	44.62
31	61/24.05.2022, 100564	विकासखंड नगरी के ग्राम गोरसानाला _SVS	40.05
32	62/24.05.2022, 100565	विकासखंड नगरी के ग्राम कुरमाझर _SVS	38.96
33	63/24.05.2022, 100566	विकासखंड नगरी के ग्राम पथर्रीडीह _SVS	39.87
34	64/24.05.2022, 100567	विकासखंड नगरी के ग्राम पलारीखार _SVS	39.87
35	65/24.05.2022, 100568	विकासखंड नगरी के ग्राम नाथुकोन्हा _SVS	39.44
36	66/24.05.2022, 100569	विकासखंड नगरी के ग्राम हिटली _SVS	45.24
37	67/24.05.2022, 100570	विकासखंड नगरी के ग्राम चिंवरी (रै.) _SVS	36.47
38	68/24.05.2022, 100571	विकासखंड नगरी के ग्राम खरका _SVS	48.25
39	69/24.05.2022, 100572	विकासखंड नगरी के ग्राम तिर्री 2nd Call	61.24

नोट :- उपरोक्त निर्माण कार्य की निविदा की सामान्य शर्तें धरोहर राशि की विस्तृत निविदा, विज्ञाप्ति निविदा, दस्तावेज व अन्य जानकारी ई-प्रोक्योरमेंट वेब पोर्टल (https://eproc.cgstate.gov.in) से दिनांक 30.05.2022 से देखा जा सकता है एवं दिनांक 13.06.2022 सायं 5.30 बजे तक डाउनलोड की जा सकती है।

जी-91533/4

कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, धमतरी (छ.ग.)

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक यशवंत धोटे* द्वारा मीनल पब्लिकेशन एंड प्रोडक्शन प्रा.लि. शेड नं. 74 सरोरा रोड उरला इंडस्ट्रीयल एरिया से मुद्रित कर ब्रिस्टल चौक छोटापारा रायपुर से प्रकाशित, प्रबंध संपादक - चन्द्रशेखर धोटे, फोन : 0771-4035602, डाक पंजीयन क्रमांक CG/RYP/DN/ 40/2019-2021

संकलनकर्ता : प्रमोद गुप्ता, ब्यूरोचीफ बेमेतरा, मो. नं. 8959681096, 9424124522

आधुनिक शिक्षा से भविष्य गढ़ता छत्तीसगढ़

स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ाने की होड़

छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने में लगी है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 में प्रदेश में 50 नये स्वामी आत्मानन्द इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलेंगे। मुख्यमंत्री ने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भारी संख्या में एडमिशन के रुझान को देखते हुए जून-2022 सत्र से 50 नए स्कूल प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया है। आगे भी जितनी जरूरत होगी, उतने स्कूल तैयार होते रहेंगे। प्रदेश में स्वामी आत्मानंद नाम से 171 सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित हैं। राज्य सरकार ने सेजेस योजना नवंबर-2020 में शुरू की थी, जिसके तहत हिंदी माध्यम के सरकारी स्कूलों को भी अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूलों की तरह ही आधुनिक बनाया गया है। फिलहाल अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रवेश को लेकर होड़ मची है। इन स्कूलों में प्राइवेट कान्वेंट स्कूल की तरह ही सर्वसुविधायुक्त लैब, लाइब्रेरी, अच्छे फर्नीचर, खेल सुविधाओं सहित कई इंतजाम किए गए हैं।

अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाने की होड़, नए स्कूल खुलेंगे

छत्तीसगढ़ में पालकों के बीच अपने बच्चों को सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ाने की होड़ को देखते हुए सीएम भूपेश बघेल ने स्वामी आत्मानन्द इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा राज्य के प्रत्येक जिले में एक स्वामी आत्मानन्द इंग्लिश मीडियम खोला जाएगा। इस नये सत्र के शुरूआत में ही 50 नए स्कूल प्रारंभ हो जाएंगे।

- राज्य में पहली बार नर्सरी की व्यवस्था, 203 स्कूलों में होंगी 8120 सीटें
- शासन के निर्देश के बाद दाखिले की प्रक्रिया हुई शुरू
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे के साथ बढ़े स्वामी आत्मानंद स्कूल 50 से बढ़कर 75 हुई संख्या

पालकों की मांग को देखते हुए प्रत्येक कक्षा में बढ़ाई गई 10 सीटें

स्वामी आत्मानंद सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रवेश चल रहा है। अधिकांश लोग अपने बच्चों को स्वामी आत्मानंद स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन स्कूलों में सीट नहीं होने से दिक्कतें बढ़ गई थीं। पालकों की मांग पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 14 अप्रैल को प्रत्येक कक्षा में 10 सीटें बढ़ाने का आदेश जारी किया है। स्कूलों में अब 50 विद्यार्थियों का प्रवेश होगा। पहले एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों का एडमिशन होता था। कक्षा पहली से 12वीं तक प्रत्येक कक्षा में 10 सीटें बढ़ा दी गई है। सरकार की इस योजना के तहत कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को मुफ्त में शिक्षा दे रही है।

स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम शाला योजना

वर्ष 2020-21 में

52 स्कूल प्रारंभ

वर्ष 2021-22 में

119 स्कूलों का उन्नयन

- इस वर्ष 1 लाख 36 हजार 500 बच्चों ने लिया प्रवेश
- 70 हजार बच्चों का अंग्रेजी माध्यम में दाखिला
- 66 हजार 500 हिन्दी माध्यम के बच्चों ने लिया प्रवेश और खोले जाएंगे 50 स्कूल
- योजना के तहत हिन्दी माध्यम के भी खुलेंगे 32 स्कूल

प्रदेश में स्वामी आत्मानंद नाम से 171 सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित

निजी स्कूलों की तर्ज पर स्वामी आत्मानंद शासकीय स्कूलों में भी नर्सरी कक्षाएं

छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों की तर्ज पर अब स्वामी आत्मानंद शासकीय स्कूलों में भी नर्सरी की कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार शुरू हो रही नई व्यवस्था से हर साल नर्सरी में पढ़ने वाले 8,120 बच्चों को लाभ मिलेगा।

- स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार प्रदेश में 171 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम व 32 हिंदी माध्यम स्कूलों का संचालन किया जा रहा है।
- छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इन प्रत्येक स्कूलों में 40-40 नर्सरी की सीटों के लिए अनुमति दी है।
- नई व्यवस्था लागू होते ही सभी 203 स्वामी आत्मानंद शासकीय स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी विद्यालय मुंगेली के विद्यार्थियों ने हासिल की बड़ी उपलब्धि

छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भी अपना परचम लहराया है। उन्होंने नासा के साझेदारी में किए जाने वाले इंटरनेशनल एस्टेरॉयड सर्च कैम्पेन में हिस्सा लिया और एस्टेरॉयड की खोज की। इन्हें एएसएम0123, एएसएम0104 का नाम दिया गया है। यह उपलब्धि स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी विद्यालय मुंगेली के विद्यार्थियों ने हासिल की है, इसके लिए संस्था के शिक्षकों ने शुभकामनाएं दी हैं।

मुंगेली जिले के स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी विद्यालय मुंगेली के विद्यार्थी अपने रूटीन पढ़ाई के साथ-साथ एस्ट्रोफिजिग्स के क्षेत्र में कार्य कर रहें हैं। स्कूल की व्याख्याता सुश्री पारूल ओझा एवं हायर सेकेण्डरी कक्षा के आर्यन कुजुर, प्रांजल श्रीवास्तव समीर बंजारे इत्यादि विद्यार्थियों के समूह ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता एस्टेरॉयड सर्च कैम्पेन में हिस्सेदारी की। इस प्रतियोगिता में अंतरिक्ष में पाए जाने वाले एस्टेरॉयड की खोज के लिए विशेष अभियान चलाया जाता है। इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के

- छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों ने खोजा एस्टेरॉयड
- खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भी अपना परचम लहराया

अभियान में विद्यार्थी द्वारा एक एस्टेरॉयड की खोज की गई है। उल्लेखनीय है कि इग्नाईट एस्टेरॉयड सर्च कैम्पेन यह एक सिटीजन साइस प्रोग्राम है, जिसमें छात्रों को उच्चगुणवत्ता वाले एस्ट्रोनोमिकल डाटा मुहैया कराया जाता है। यह एक विश्व स्तरीय योजना है, जिसमें अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके अन्तर्गत टेलिस्कोप द्वारा चित्र लिए जाते है, जिसे बच्चों को सेट में चार चित्र कार्य करने के लिए दिए जाते हैं। इस में छात्रों को एस्ट्रोनोमिकल सॉफ्टवेयर की मदद से मुविंग ऑब्जेक्ट की खोज करनी होती है। उसके बाद सिग्नल टू नॉइज रेशियो गति की दिशा आदि प्रापर्टी को चेक करना होता है। सब कुछ सही होने पर एस्टेरॉइड को नाम दिया जाता है। नाम देने का भी अपना एक तरीका होता है। जिसमें पहले तीन अल्फाबेट और चार नम्बर होते हैं। भौतिकी के क्षेत्र में एस्टेरॉयड सर्च कैम्पेन के जरिये नये स्टेरॉइड की खोज की जाती है।